"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2021 — आश्विन 30, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–31/2021/38–2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 10346/प्र.परि./प्र.अ./भारती वि.वि./2021/16327, दिनांक 13–10–2021 द्वारा भारती यूनिवर्सिटी, ग्राम–चंदखुरी, पोस्ट–तहसील एवं जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 99 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (5) एवं धारा 28 (4) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूवनेश यादव, विशेष सचिव.

प्रथम परिनियम

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में शासी निकाय में निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाया है:

I **लघु शीर्षक और प्रारंभ –**

1. इन परिनियमों को भारती विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम कहा जाएगा।
2. आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से ये लागू होंगे।

II- **परिभाषा :**

इन नियमों में जब तक अन्यथा आवश्यक न हो :

1. "अधिनियम" का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम–2005
2. "कुलाध्यक्ष" का अर्थ है छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल है।
3. CGPURC का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग।
4. "अकादमिक वर्ष" का अर्थ है अधिनियमों के उल्लिखित आवश्यकताओं और संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए लगभग 12 महीने की अवधि और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तो के अनुसार अधिनियम में विभाजित किया गया है।
5. "अध्ययन मंडल" का अर्थ विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के अध्ययन बोर्ड है।
6. "दीक्षांत समारोह" का अर्थ है विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है।
7. "पाठ्यक्रम" का अर्थ है अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन कार्यक्रम या कोई अन्य घटक जो उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र या किसी अन्य को पुरस्कार के लिए पाठ्यक्रम, अकादमिक विशेष योग्यता विश्वविद्यालय के खिताब ।
8. "कर्मचारी" का अर्थ है विश्वविद्यालय के वेतनमान पर कार्य कर रहे है।
9. "संकाय" का अर्थ है विश्वविद्यालय के संकाय है।
10. "नियमित शिक्षा" का अर्थ है एक प्रणाली जिसमें कक्षाओं में छात्रों को विश्वविद्यालय के परिसर में शिक्षा, शिक्षण, शिक्षित करना और संबंधित जिसके लिए व्याख्यान और प्रौद्योगिकी में अलग–अलग पचहत्तर प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक है।

11."विनियमन" का अर्थ विश्वविद्यालय के विनियमन से है।

12."नियम" का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) नियम–2005

13."योजना और पाठ्यक्रम" का अर्थ है विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रकृति, अवधि, अध्यापन पाठ्यक्रम, योग्यता और अन्य संबंधित विवरण

14."मुहर" का अर्थ है विश्वविद्यालय की आम मुहर।

15."विषय" का अर्थ है शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि की जिस भी नाम से निर्धारित योजना एवं पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

16."विश्वविद्यालय" का अर्थ है, भारती विश्वविद्यालय ।

17.अधिनियम और नियमों में परिभाषित सभी शब्दो और अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः अधिनियम और नियमों में उन्हें सौंपा गया हो।

III प्रथम परिनियम निम्नानुसार है :–

परिनियम	शीर्षक
परिनियम क्रं. 1	विश्वविद्यालय के उद्देश्य
परिनियम क्रं. 2	विश्वविद्यालय की मोहर और चिन्ह
परिनियम क्रं. 3	कुलाधिपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 4	कुलपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 5	कुलसचिव की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 6	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 7	शासी निकाय का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 8	प्रबंध मंडल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 9	शैक्षणिक परिषद का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 10	अध्ययन मंडल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 11	परीक्षा मंडल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 12	वित्त एवं बजट समिति का गठन, शर्तें व शक्तियाँ
परिनियम क्रं. 13	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण
परिनियम क्रं. 14	विभिन्न संकायों व विभागों में संचालित विषय

परिनियम क्रं. 15	गुणवत्ता आश्वासन एवं शोध समिति का संविधान एवं कार्य
परिनियम क्रं. 16	परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति– नियम, शर्तें
परिनियम क्रं. 17	ग्रंथापाल की नियुक्ति नियम, शर्तें, ग्रंथालय समिति का गठन एवं कार्य
परिनियम क्रं. 18	शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति
परिनियम क्रं. 19	विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, नियम एवं शर्तें
परिनियम क्रं. 20	गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति
परिनियम क्रं. 21	पंचनिर्णय/परिवेदना समिति
परिनियम क्रं. 22	मानद उपाधि एवं अलंकरण
परिनियम क्रं. 23	शुल्क माफी, छात्रवृत्ति तथा अध्ययनवृत्ति
परिनियम क्रं. 24	प्रवेश नीति से संबंधित प्रावधान एवं आरक्षण
परिनियम क्रं. 25	शुल्क विनियम
परिनियम क्रं. 26	विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीट संख्या
परिनियम क्रं. 27	अकादमिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी एवं विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को हटाना
परिनियम क्रं. 28	अधिनियम का संरक्षण, कार्यवाहियां एवं आदेश
परिनियम क्रं. 29	नव–स्थापित भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के वर्तमान कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में।

परिनियम क्रमांक–01

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान के प्रसार के लिए प्रावधान करना।
2. बौद्धिक और नवाचार क्षमताओं के उच्च स्तर का निर्माण करना।
3. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना करना।
4. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण करना और सतत शिक्षा कार्यक्रमों को प्रमोट करना।
5. अनुसंधान और विकास के लिए और ज्ञान और उसके अनुप्रयोग को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना ।
6. उद्योग और सार्वज़निक संगठनों को परामर्श प्रदान करना।
7. समुदाय की आवश्यकता के अनुसार नए पाठ्यक्रम संस्थान और पाठ्यक्रम स्थापित करना।
8. परीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक ग्रेड प्रदान करना।
9. यूजीसी और संबंधित नियामक निकायों या परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के मानकों को बनाए रखना।
10. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।
11. भारत और विदेशों के छात्रों को सार्थक सीखने के अवसर प्रदान करना।
12. विदेशी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक प्रावधान स्थापित करना ताकि विश्वविद्यालय के छात्रों को संकाय और छात्रों के आदान–प्रदान, दोहरी डिग्री विकल्पों और विदेश में सेमेस्टर कार्यक्रमों के लाभों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।
13. प्रायोजक निकाय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए।
14. अखिल भारतीय सांविधिक निकायों जैसे एआईसीटीई, एनसीटीई, यूजीसी, एमसीआई, डीसीआई, पीसीआई, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आदि द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों का पालन करना ।

परिनियम क्रमांक–02

विश्वविद्यालय की मोहर और चिन्ह

1. विश्वविद्यालय की अपनी एक सामान्य मोहर होगी जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन में प्रयुक्त होगी और इस मोहर का रूपण विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसमें परिवर्तन या संशोधन समय–समय पर आवश्यक होने पर हो सकेंगे।

2. विश्वविद्यालय ऐसे ध्वज, समूह गान, चिन्ह, वाहन ध्वज और अन्य सांकेतिक रूपित अभिव्यक्तियां, संक्षिप्त शब्द और समान प्रकार की वस्तुओं आदि को बनाने और प्रयोग करने के संबंध में निर्णय ले सकता है जो उन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो सकेंगे जो समय–समय पर निश्चित किए जाएंगे। ये चिन्ह एवं अन्य विशिष्ट, भूमि के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।

परिनियम क्रमांक–03

कुलाधिपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005, की धारा–16 का संदर्भ)

1. कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

2. कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा होगी। इस प्रावधान के साथ कि विश्वविद्यालय की स्थापना और इसे कार्यकारी बनाने के लिए, प्रायोजक निकाय राज्य सरकार की सलाह पर, एक वर्ष के लिए कुलाधिपति नियुक्त करेगा जिसकी कार्यावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. प्रायोजक निकाय साधारण बहुमत के द्वारा कुलाधिपति के नाम का निर्णय करेगा। प्रायोजक निकाय अंतिम रूप से तय किये गये नाम को प्रस्तावित कुलाधिपति का नाम जीवनवृत (बायोडाटा) के साथ, कुलाध्यक्ष को अनुमोदन के लिए भेजेगा। कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात, कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजित निकाय द्वारा की जाएगी।

4. कुलाधिपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पदभार संभालेगा और इस परिनियम के अनुसार निश्चित की गई प्रक्रिया के अनुरूप कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगा। कुलाधिपति, अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बावजूद भी, पुनर्नियुक्ति होने या उसके उत्तराधिकारी द्वारा पदभार संभालने तक, अपने पद पर बना रहेगा।

5. कुलाधिपति की अस्वस्थता, अनुपस्थिति या मृत्यु जैसी आकस्मिक अवस्था में उसके कर्तव्य का निर्वाह प्रो–वाइस चांसलर द्वारा किया जाएगा जब तक वह अपने पदभार को पुनः न संभाल ले या नए कुलाधिपति की नियुक्ति न हो जाए। यह अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

6. कुलाधिपति विधि की धारा 16 में वर्णित परिनियमों में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

7. कुलाधिपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों का अक्षरशः एवं भाव रूप में पालन सुनिश्चित करें।

8. कुलाधिपति का विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।

9. कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय, व्यय एवं भत्ते प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

10. कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित करते हुये स्वलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे जिसकी एक प्रति प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष को भेजी जावेगी।

11. कुलाधिपति को शासी–निकाय की ओर से आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेने का विशेष अधिकार होगा परंतु उसके द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय का अनुमोदन शासी निकाय की अगली ही बैठक में लेना होगा। शासी निकाय द्वारा ऐसे निर्णय को अस्वीकार कर दिए जाने की स्थिति में संबंधित निर्णय निरस्त माना जावेगा।

परिनियम क्रमांक –04

कुलपति की नियुक्ति, शर्ते एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, धारा–17 का संदर्भ)

1. कुलपति विश्वविद्यालय का अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होगा।
2. कुलपति, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 17 (1, 2, 3 एवं 4) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जावेगा।
3. कुलपति प्रथम कार्य अवधि की समाप्ति पर द्वितीय कार्य अवधि हेतु पुर्ननियुक्ति के योग्य होंगे। कुलपति, अस्वस्थता, लंबी अनुपस्थिति, निलंबन, बर्खास्तगी, पदत्याग या मृत्यु जैसी आपातकालीन स्थिति में कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ सदस्य को कुलपति पद के दायित्व एवं कर्तव्य सौंप दिए जावेंगे। सामान्यतः अंतरिम रूप से की गई इस व्यवस्था की अवधि छः माह से अधिक नहीं हागी।
4. अधिनियम की धारा 17 में यथा वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त, कुलपति विश्वविद्यालय के विभिन्न परिनियमों अध्यादेशों एवं विनियमों मे निहित शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे।
5. कुलपति अधिनियम की धारा 17 के अनुसार नियुक्त पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे तथा उन्हें प्रायोजक निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित भत्ते भी प्राप्त होंगे।
6. कुलपति, शैक्षणिक परिषद, परीक्षा मंडल एवं वित्त समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। वे विश्वविद्यालय शासी निकाय को छोड़कर अन्य किसी भी निकाय की बैठकों में आवश्यकतानुसार अध्यक्षता कर सकते है।
7. कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों तथा विनियमों का राज्य शासन एवं यूजीसी की अधिसूचनाओं सहित कठोरता से पालन हो रहा है।
8. कुलपति, अधिनियम में वर्णित समस्त प्राधिकारियों एवं निकायों की बैठकें आयोजित करते रहेंगे।
9. कुलपति के पास विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु पर्याप्त शक्तियाँ होंगी तथा वे यदि आवश्यक समझें तो प्राप्त किसी भी शक्ति को किसी भी उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप सकेंगे।

(I) आपात स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी/निकाय की ओर से निर्णय ले सकते है परन्तु ऐसा करने पर कुलपति को संबंधित प्राधीकारी या समिति को निर्णय लिए

जाने का कारण बतलाना होगा। उन्हें संबंधित प्राधिकारी/निकाय की आगामी बैठक में उक्त निर्णय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसी बैठक में कुलपति एवं निकाय सदस्य के बीच मतैक्य न होने पर प्रकरण कुलाधिपति को सौंपा जावेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(II) कुलपति को अपने कर्तव्य के निर्वाह हेतु आवश्यक समितियाँ गठित करने की शक्ती होगी जिन्हें वे अधिनियम द्वारा वर्णित कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझते है।

(III) कुलपति की अधिवार्षिकी आयु 70 वर्ष पूर्ण होगी।

(IV) कुलपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित स्वलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे जिसकी एक प्रति कुलाधिपति को भेजी जावेगी।

(V) कुलपति की अध्यक्षता वाली बैठकों की कार्यसूची का अंतिम निर्धारण स्वयं कुलपति द्वारा किया जावेगा जहाँ वे पदेन अध्यक्ष है।

परिनियम क्रमांक –05

कुलसचिव की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–18 का संदर्भ)

1. विश्वविद्यालय के कुलसचिव की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित चयन समिति की सिफारिश पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार चार वर्ष की अवधि हेतु की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की अवधि हेतु की जा सकेगी।
2. कुलसचिव विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारी होंगे जो कुलपति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा जिन्हें अधिनियम के अनुसार पदमुक्त किया जा सकेगा। कुलसचिव विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से समस्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे तथा समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों को प्रमाणित भी कर सकेंगे। सदस्य नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा जिन्हें अधिनियम के अनुसार पदमुक्त किया जा सकेगा। कुलसचिव विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से समस्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे तथा समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों को प्रमाणित भी कर सकेंगे।
3. कुलसचिव प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे।
4. कुलसचिव 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु तक चार–चार वर्ष की किसी भी संख्या की कालावधियों हेतु नियुक्त किए जा सकेंगे। चयन समिति निम्न प्रकार से होगी :

(अ) कुलपति	–	अध्यक्ष
(ब) कुलाधिपति नामिति	–	सदस्य
(स) कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	–	सदस्य
(द) शासी निकाय द्वारा नामित दो विशेषज्ञ	–	सदस्य
(इ) CGPURC द्वारा नामित एक विशेषज्ञ सदस्य जो प्राध्यापक संवर्ग से निम्न का न हो।	–	सदस्य

5. कुलसचिव के कर्तव्य एवं शक्तियाँ:

(अ) अभिलेखों, सामान्य संपत्ति तथा विश्वविद्यालय की ऐसी संपत्ति जैसा कि शासी निकाय विनिश्चत करें, का रख रखाव करना ।

(ब) शासी निकाय, प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद् एवं कोई अन्य निकाय या समिति जिसमें वह सचिव हो, का कार्यालयीन पत्राचार करना।

(स) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों, समितियों व निकायों की बैठकों की तिथि एवं एजेंडा से सदस्यों को अवगत करने हेतु सूचना निर्गत करना तथा बैठक संपन्न करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। शासी निकाय द्वारा प्रदत्त अन्य दायित्वों के निर्वाह हेतु वांछित सहायता करना।

(द) वह शासी निकाय, प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद तथा अन्य निकाय जिनमें कुलपति अथवा परिनियमों द्वारा उन्हें मताधिकार के बिना सचिव नियुक्त किया गया है, के पदेन सचिव रहेंगे।

(इ) शासी निकाय एवं प्रबंध मंडल द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करना।

(एफ) शासी निकाय, शैक्षणिक परिषद, प्रबंध मंडल तथा ऐसे निकाय जो कुलाधिपति/कुलपति के निर्देशों के अधीन गठित हों, की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ उपलब्ध कराना तथा कार्यवाही विवरण का रिकार्ड रखना तथा उचित प्राधिकारियों को उसे प्रेषित करना।

(जी) कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा वांछित समस्त प्रपत्रों, अभिलेखों व सूचना उपलब्ध कराना।

(एच) कुलसचिव विश्वविद्यालय के विभागों/कार्यालयों व इकाइयों में कार्यरत स्टाफ के कार्यो का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करेगा वह कार्यरत स्टाफ की गोपनीय चरित्रावली भी लिख सकेगा।

(आई) वह अपनी मुद्रा एवं हस्ताक्षर से मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जारी करेगा। वह उपाधि, प्रमाण पत्र जारी करने से पर्व उनके पीछे अपने हस्ताक्षर व मुहर भी लगायेगा।

परिनियम क्रमांक –06

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति, शर्ते व शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–19 (1व 2) तथा 26 (1) (c) का संदर्भ)

1. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति भारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा इस हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर की जावेगी। उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा उन्हें अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष तक उक्त कार्यावधियों की किसी भी संख्या में पुर्ननियुक्त किया जा सकेगा। चयन समिति निम्न होगी :

(i) कुलपति	–	अध्यक्ष
(ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति	–	सदस्य
(iii) कुलपति द्वारा नामित एक प्राध्यापक	–	सदस्य
(iv) शासी निकाय द्वारा नामित दो बाहय विशेषज्ञ जिनमें एक वित्त तथा दूसरा लेखा संबंधी विशेषज्ञ हो	–	सदस्य
(v) CGPURC द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो प्रोफेसर संवर्ग से निम्न का न हो	–	सदस्य
(vi) कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे		

2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की योग्यताएं निम्न होंगी :

(i) वाणिज्य/अर्थशास्त्र/एम.बी.ए. (वित्त प्रबंधन) जैसे किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों से अर्जित हो तथा अभ्यर्थी में स्वयं लेखा/वित्त प्रबंध क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकने की क्षमता हो। अभ्यर्थी के पास वित्त व लेखा संबंधी कार्य, किसी विश्वविद्यालय या संस्था/उच्च शिक्षा संस्थान में कार्य करने का 15 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए ।

(ii) चार्टर्ड एकाऊंटेट अथवा समकक्ष शैक्षणिक उपलब्धि वांछित।

3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को विश्वविद्यालय की शासी निकाय द्वारा निश्चित वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।

4. कुलपति के नियंत्रणाधीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के निम्न कर्तव्य होंगे–

(अ) यह सुनिश्चित करना कि शासी निकाय द्वारा वित्त वर्ष हेतु आवर्ती व अनावर्ती व्यय की निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न हों तथा आबंटित समस्त राशि उनके लिए निर्धारित मदों पर ही व्यय हो।

(ब) उपलब्ध नकद राशि, बैंक शेष व विनियोगों की स्थिति पर सतत निगरानी रखना।

(स) विश्वविद्यालय हेतु अतिरिक्त आय सृजित करने के उपायों पर सुझाव देना।

(द) विश्वविद्यालय हेतु दान प्राप्त करना।

(ई) बजट निर्माण हेतु वित्त समिति की सहायता करना।

5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय/संस्थान से आवश्यक वित्तीय सूचना प्राप्त कर सकता है जिसे वह अपने कर्तव्यों के निर्वाह हेतु आवश्यक समझे।

6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान हेतु सभी देयक भुगतान पूर्व अंकेक्षित हों,

7. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के उत्तरदायित्व निम्न है :

(a) विश्वविद्यालय के कोषों का सामान्य पर्यवेक्षण कर कुलपति को विश्वविद्यालय की वित्तीय नितियों पर आवश्यक परामर्श देना।

(b) विश्वविद्यालय की संपत्ति व विनियोगों का अभिरक्षण व प्रबंध करना जिसमें ट्रस्ट व एंडोमेंट प्रापर्टी भी शामिल है ताकि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का पोषण किया जा सके।

(c) विश्वविद्यालय के प्रयोग एवं लाभार्थ समस्त राशि की प्राप्ति जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों व प्रादेशों की सीमा के भीतर हो।

(d) आय/राजस्व के संग्रहण की प्रगति की निगरानी करना एवं संग्रहण विधि के संबंध में उचित सलाह देना।

(e) बजट के प्रत्येक मद से शासी निकाय या प्रबंध मंडल अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राशियों का भुगतान करना।

(f) वित्त एवं बजट समिति तथा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंतरिम प्रतिवेदन तैयार करना।

(g) प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कुलपति एवं कुलसचिव से मंत्रणा कर वित्त एवं बजट समिति के अनुमोदन एवं संशोधन के अधीन विश्वविद्यालय की आय–व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना।

(h) वित्त एवं बजट समिति से मंत्रणा कर विश्वविद्यालय के कोषों के विनियोजन हेतु शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना।

(i) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों, विभागों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों व संस्थानों में स्थित भूमि, भवन, फर्नीचर तथा उपकरण सहित समस्त संपत्तियों की पंजियां अद्यतन रखी गई है तथा उपकरणों एवं अन्य उपभोगयोग्य सामग्रियों का सत्यापन अद्यतन किया जा रहा है।

(j) विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों, प्राधिकारियों, निकायों समितियों या मंडलों द्वारा किए गए अनाधिकृत व्ययों तथा अन्य वित्तीए अनियमितताओं के लिए उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करना तथा दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में सुझाव देना।

(k) वित्त संबंधी समस्त विधिक प्रकरणों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना।

(l) वर्ष में कम से कम एक आंतरिक अंकेक्षण तथा एक वार्षिक वैधानिक अंकेक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यालय के समस्त लेखों हेतु करना।

(m) आंतरिक अंकेक्षण इकाई के प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों की समीक्षा करना।

(n) शासी निकाय को अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करना तथा विश्वविद्यालय के वित्तीय अंकेक्षण का निरीक्षण करना।

(o) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करना जो परिनियमों, अध्यादेशों विनियमों व विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आवश्यक है अथवा कुलपति या उनके अन्य प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त हो।

(p) अपने वित्तीय कार्य संबंधी दायित्यों के निर्वाह हेतु आवश्यक समझी जानेवाली कोई भी सूचना/प्रतिवेदन विश्वविद्यालय के किसी भी संबंधित व्यक्ति कार्यालय/संस्था से प्राप्त करना।

(8) परिनियमों में अन्यथा न होते हुए भी मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा कुलपति/शासी निकाय/प्रबंध मंडल द्वारा प्रदत्त अन्य कर्तव्यों का भी निर्वाह किया जावेगा जो भी उसे सौंपे जावें।

परिनियम क्रमांक –07

शासी निकाय का गठन, शर्ते एवं शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (a) 22 व 26 1 (a) का संदर्भ)

1. भारती विश्वविद्यालय के शासी निकाय का गठन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 21 व 22 के अनुसार किया जावेगा।
2. शासी निकाय का कोई भी सदस्य जो शासी निकाय से पदत्याग का इच्छुक हो निकाय के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर ऐसा कर सकता है। ऐसे सदस्य का इस्तीफा उसकी स्वीकृति की तिथि से प्रभावशील होगा।
3. शासी निकाय अपनी शक्तियों व दायित्वों को परिचालन में प्रायोजक निकाय के लक्ष्य व दर्शन को ध्यान में रखेगा एवं समस्त प्रमुख निर्णयों से पूर्व प्रायोजक निकाय से सलाह करेगा।
4. शासी निकाय अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त निकाय की शक्तियां का दायित्व निम्न होंगे :

   (i) विश्वविद्यालय के संपूर्ण प्रशासन को विकसित करना तथा अधिनियम के अनुसार निर्मित परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों व विश्वविद्यालय के नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति, अनुशासन व पदमुक्ति जैसे कार्यो का संपादन करना।

   (ii) परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों अथवा विश्वद्यिालय के नियमों द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नई समितियों, कार्यालयों व मंडलों के गठन को अनुमोदन प्रदान करना।

   (iii) प्रबंध मंडल तथा शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर अध्ययन इकाइयों, विभागों तथा अध्ययन कार्याक्रमों के निर्माण अथवा विलोपन का अनुमोदन करना।

   (iv) प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो के द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करना।

   (v) विश्वविद्यालय की संपत्तियों व कोषों का संरक्षण, नियंत्रण व प्रशासन करना।

(vi) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों को अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ अंगीकृत करना।

(vii) विश्वविद्यालय की ओर से कोषों का आहरण एवं प्रदाय का कार्य करना। परन्तु यह भी देखना कि कोषों का आहरण विश्वविद्यालय की प्रतिभूतियों पर न किया जावे।

(viii) विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाजनक प्रयोजन हेतु किसी भूमि इमारत या संपत्ति, चल अचल या बौद्धिक संपत्ति को पटटे पर लेना, उपहार रूप में उचित व योग्य शर्तो पर स्वीकार करना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना और ऐसी किसी भूमि, इमारत या संपत्ति पर निर्माण करना, परिवर्तन करना या रख रखाव करना।

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से उसे अधिनियम व परिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई अनुबंध करना, उसमें परिवर्तन करना या निरस्त करना।

(x) विश्वविद्यालय की सार्वमुद्रा का चयन अभिरक्षण व प्रयोग के प्रावधान सुनिश्चित करना।

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य हेतु आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरण, पुस्तकों व अन्य साधनों हेतु प्रावधान करना।

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, दान तथा विश्वविद्यालय हेतु चल व अचल संपत्ति का कोई भी अंतरण स्वीकार करना।

(xiii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे एवं निवेशों का नियमन एवं प्रबंधन।

(xiv) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राधिकारियों, निकायों, शिक्षण विभागों, विशिष्ट अध्ययन के अनुसंधान केंद्र, प्रयोग शालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों से प्रतिवेदन व अन्य सूचनाएं प्राप्त करना।

(xv) अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक एवं पुरस्कारों की स्थापना करना।

(xvi) नियुक्ति करना :

(a) अन्य संगठनों व संस्थानों में जहां आवश्यक हो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नियुक्त करना।

(b) विश्वविद्यालय के किसी कार्य अथवा अभिलेख के, निष्पादन हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसी शक्तियों के साथ जो कि उचित समझी जावे विश्वविद्यालय का अटॉर्नी नियुक्त करना।

(xvii) प्रबंध मंडल के प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम की सीमाओं के भीतर विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के संशोधन अथवा निरस्ती का अनुमोदन करना।

(xviii) विनियमों के माध्यम से कुलपति, कुलसचिव अथवा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा शासी निकाय द्वारा नियुक्त समिति को अपनी किसी शक्ति को प्रदत्त करना जो कि उचित समझी जावे ।

परिनियम क्रमांक –08

प्रबंध मंडल का गठन, शर्ते एवं शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (b) 23 व 26 1 (a) का संदर्भ)

1. भारती विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का गठन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम–2005 की धारा 23 की उपधारा (1) एवं (2) के अनुसार किया जावेगा।
2. प्रबंध मंडल में नामांकित सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी।
3. प्रबंध मंडल की बैठकें प्रत्येक दो माह की अवधि में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित होगी।
4. प्रबंध मंडल की बैठकों हेतु गणपूर्ति पांच होगी।
5. अधिनियम के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के प्रावधानों के अधीन प्रबंध मंडल, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालिक निकाय होगा तथा उसके निम्न कर्तव्य एवं शक्तियां होंगी

   (i) शासी निकाय को छोड़कर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों व निकायों के निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों में विनिश्चित प्रावधानों से भिन्न हों।

   (ii) विश्वविद्यालय के आगामी परिनियमों की रचना करना।

   (iii) वित्त व बजट समिति द्वारा अग्रेषित विश्वविद्यातय के वार्षिक बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदनों को अनुमोदित करना।

   (iv) विश्वविद्यालय के आर्थिक स्थिति विवरण सहित वार्षिक खाते तैयार करने संबंधी आवश्यक निर्देश देना।

(v) विश्वविद्यालय के स्थिति विवरण सहित वार्षिक खातों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति करना।

(vi) विश्वविद्यालय के आगामी अध्यादेशों को अनुमोदित करना।

(vii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन पश्चात शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का क्रियान्वयन बजट सीमा के भीतर करने के उद्देश्य से आवश्यक छानबीन करना।

(viii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तथा अन्य शैक्षणिक पदों का निर्माण करना।

(ix) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक, कार्यालयीन व अन्य पदों का निर्माण करना।

(x) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक अथवा अन्य कोई भी शैक्षणिक पद अथवा अशैक्षणिक पद समाप्त अथवा निलंबित करना।

(xi) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग विशिष्ट अध्ययन के शोध केन्द्रो, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालायों, संग्रहालयों व छात्रावासों की स्थापना, रख–रखाव व प्रबंधन करना।

(xii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से ऐसे उद्देश्यों व ऐसी शक्तियों के साथ समितियों का गठन करना जैसा कि वह उचित समझें तथा समितियों में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करना। विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अथवा समस्य समितियों की अनुशंसाओं की समीक्षा, अनुमोदन, अस्वीकृति अथवा आवश्यक परिवर्तन करना।

(xiii) विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु छात्रावास अथवा आवासीय व्यवस्था का रखरखाव करना।

(xiv) विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों में छात्रो के प्रवेश, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा छात्रों के सामान्य कल्याण एवं स्वास्थ्य में सुधार संबंधी प्रबंध करना।

(xv) परिनियमों में निहित व्यवस्था अनुसार कुलाधिपति के समक्ष मानद उपाधियों व अकादमिक अलंकरणों के प्रदाय संबंधी अनुशंसा करना।

(xvi) परिनियमों में निहित व्यवस्था अनुसार उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों व अन्य अकादमिक अलंकरणों के प्रदाय अथवा उन्हें वापस लिए जाने संबंधी कार्य ।

(xvii) विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के अनुरूप शैक्षणिक स्टाफ, प्रशासनिक व कार्यकालयीन स्टाफ में अनुशासन की स्थापना व नियमन का कार्य करना।

(xviii) परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षा परिणामों के प्रकाशन की व्यवस्था करना।

(xix) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कदाचरण/अनुचित साधनों का प्रयोग पाए जाने पर उन्हें पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त करना तथा छात्रों के निष्कासन सहित ऐसे व्यक्ति/व्यक्ति समूह जो ऐसे कदाचरण के दोषी हों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करना।

(xx) जहां कहीं आवश्यक हो विश्वविद्यालय के नामांकित छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(xxi) परीक्षा में कार्यरत स्टाफ, वीक्षकों आदि के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उनकी अनुशासनहीनता अथवा कदाचरण में संलिप्तता के आधार पर करना।

(xxii) अध्यादेशों द्वारा प्रावधानित अनुसार शुल्क व अन्य व्ययों का निर्धारण, मांग तथा वसूली करना।

(xxiii) शासी निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति के विरूद्ध बांड्स, बंधक, प्रतिज्ञापत्र या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना किसी प्रतिभूति के अनुमोदित नियम एवं शर्तो पर ऋण प्राप्त करना तथा ऐसे ऋण प्राप्ति संबंधी समस्त व्ययों का तथा ऐसे ऋणों का पुर्नभुगतान करना।

(xxiv) परीक्षा मंडल से मंत्रणाकर परीक्षा कार्य में नियुक्त आंतरिक व बाहय परीक्षकों, तथा मॉडरेटर्स एवं परीक्षा हेतु नियुक्त अन्य कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक यात्रा व अन्य भत्तो का निर्धारण करना।

(xxv) उपाधि, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अर्वाडस तथा फेलोशिप्स के प्रदाय का अनुमोदन करना।

(xxvi) उसके द्वारा अथवा कुलपति द्वारा गठित समिति अथवा उप समिति को अपनी समस्त अथवा कुछ शक्तियों को प्रदत्त करना।

(xxvii) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा विश्वविद्यालय या उनके अधिकारियां के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की दशा में कुलसचिव या अन्य कोई अधिकारी, प्राधिकारी, निकाय, समिति या मंडल को ऐसी कार्यवाही संस्थित, बचाव, प्रतिवाद या छोड़ने संबंधी अधिकार देना।

(xxviii) प्रथम परिनियमों की रक्षा हेतु शासी निकाय के अनुमोदन से प्रबंध मंडल के पास परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के निर्माण, संशोधन व निरस्त करने की शक्ति होगी। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्मित अध्यादेशों व विनियमों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने, संशोधित करने या वापस करने की शक्ति होगी।

(xxix) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की परिवेदनाओं को ग्रहण करने, निर्णय करने तथा यदि आवश्यक समझा जावे तो उनका समाधान करने का कार्य।

(xxx) प्रबंध मंडल पर्याप्त एवं उचित कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त उपाधि या अकादमिक अंलकरण अथवा कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा को अपनी बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा वापस ले सकता है।

परंतु यह भी कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा जब कि संबंधित व्यक्ति को लिखित में सूचना न दे दी जावे जिसमें उससे निर्धारित समय सीमा के भीतर

कारण बताने का मौका प्रदान किया जाए। ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं अथवा साक्ष्यों पर यदि कोई हो पर प्रबंध मंडल द्वारा विचारोपरांत ही इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

परिनियम क्रमांक –09

शैक्षणिक परिषद का गठन, शर्ते एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (c)
24 व 26 (1) (a) का संदर्भ)

1. भारती विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद में निम्न सदस्य होंगे

(a) कुलपति, अध्यक्ष

(b) समस्त संकायाध्यक्षों में से तीन संकायाध्यक्ष वरिष्ठता क्रम में क्रमिक रूप से

(c) समस्त विभागाध्यक्षों में से तीन विभागाध्यक्ष वरिष्ठता क्रम में क्रमिक रूप से

(d) अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष जिन्हें मामला अकादमिक परिषद हेतु सूची बद्ध किया गया हो।

(e) ख्यातिलब्ध (विश्वविद्यालय से संबंधित न हो) चार शिक्षाविद् जिनमें दो कुलाधिपति व दो कुलपति द्वारा नामित होंगे।

(f) दो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक/तकनीकी विशेषज्ञ अथवा उद्योगों के विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामित हों

(g) कुलसचिव शैक्षणिक परिषद के सदस्य सचिव होंगे जिन्हें मताधिकार नहीं होगा।

2. कुलपति, अकादमिक परिषद के अध्यक्ष होंगे तथा कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे परन्तु कुलसचिव के पास मताधिकार नही होगा।

a. शैक्षणिक परिषद हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई से होगी। परन्तु स्थगित बैठकां हेतु गणपूर्ति आवश्यक नहीं है।
b. साधारणतया शैक्षणिक परिषद की बैठक हेतु 15 दिवसों की सूचना दी जानी चाहिए तथा बैठक की कार्यसूची बैठक तिथि से 07 दिवस पूर्व निर्गत की जानी चाहिए। तथापि आकस्मिक बैठक की सूचना 03 दिवस पूर्व दी जानी चाहिए।

c. शैक्षणिक परिषद के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

d. शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक निकाय होगी तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के अधीन बनाए जावेंगे, विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का समन्वय एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

e. शैक्षणिक परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किसी विशिष्ट प्रकरण में आवश्यक होने पर परिषद किन्हीं ऐसे दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी जिन्हें संबंधित विषय में अनुभव/विशेषज्ञता प्राप्त है। ये दोनों सदस्य भिन्न–भिन्न व्यवसायों से होने चाहिए। इस प्रकार सहयोजित सदस्यों के पास वे सभी अधिकार होंगे जो उस विषय/क्षेत्र के व्यवहार से संबंधित होंगे जिसके लिए उन्हें सहयोजित किया गया है।

3. शैक्षणिक परिषद की निम्न शक्तियाँ होगी तथा निम्न कर्तव्य होंगे :

(i). परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का समान्य पर्यवेक्षण करने के साथ–साथ शिक्षण पद्धतियों, विभिन्न विभागों व शिक्षकों द्वारा परस्पर सहकारिता व समन्वय पूर्वक अध्यापन, शोध मूल्याकंन एवं अकादमिक स्तर के उन्नयन संबंधी निर्देश दे सकेगी।

(ii). विश्वविद्यालय उपाधियों, डिप्लोमा व प्रमाण पत्र हेतु अग्रसरित पाठयक्रमों का निर्धारण करना।

(iii). विभिन्न पाठयक्रमों एवं अध्ययन के पाठयक्रमों की पाठयचर्या का अनुमोदन करना।

(iv). विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा किए जा रहे शोधकार्यो पर समय समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना।

(v). अकादमिक रूचि के सामान्य विषयों पर विचार, स्वयं की पहल पर अथवा किसी संकाय या प्रबंध मंडल द्वारा संदर्भित किए जाने पर करना तथा उपयुक्त कार्यवाही करना।

(vi). पाठयक्रम एवं अकादमिक नीति समिति के समक्ष विभागों के आबंटन का प्रस्ताव रखना।

(vii). प्रबंध मंडल के अनुमोदन से आगामी अध्यादेशों का निर्माण करना।

(viii). विश्वविद्यालय में अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक व पुरस्कारों की व्यवस्था संस्थित करने हेतु प्रस्ताव रखना तथा उनके प्रदाय संबंधी नियम बनाना।

(ix). संबंधित उस विषय में अकादमिक ख्यातिलब्ध व्यक्तियों की पहचान करना, ताकि व उन विषयों में शोध पर्यवेक्षक कार्य कर सके।

(x). विश्वविद्यालय में शिक्षकीय कार्य हेतु संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडो के परिप्रेक्ष्य में अर्हता का निर्धारण करना। इस अर्हता के अनुरूप व्यक्तियों को पहचान कर शिक्षक के रूप में मान्यता देना।

परिनियम क्रमांक –10

अध्ययन मंडल का गठन, शर्ते एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (d) एवं 26 (1) (a) का संदर्भ)

1. प्रत्येक विषय या विषय समूह हेतु एक अध्ययन मंडल होगा।
2. अध्ययन मंडल के निम्न सदस्य होंगे:
   (a) संबंधित विषय के, विश्वविद्यालय के विभाग/संस्थान के प्रमुख
   (b) कुलपति द्वारा नामांकित संबंधित विभाग के दो संकाय सदस्य।
   (c) कुलपति द्वारा नामांकित अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के दो सदस्य।
3. अध्ययन मंडल अपनी प्रथम बैठक में सहयोजित करेंगे :
   (a) विश्वविद्यालय के विभाग से ऐसे दो संकाय सदस्य जो विभाग प्रमुख नहीं है।
   (b) अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित संकाय के दो ऐसे सदस्य जिनका संबंधित विषय में अध्यापन का अनुभव 10 वर्ष से कम न हों।
4. कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जावेगा।
5. अध्ययन मंडल का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
6. अध्ययन मंडल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। कुल सदस्यों से आधे सदस्य कोरम पूरा करेंगे। बैठक की सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व सदस्यों को देनी होगी ।
7. विश्वविद्यालय में विषयों को आंरभ करने पर, जब और जैसी आवश्यकता हो कुलपति अध्ययन मंडल का गठन कर सकते है।
8. अध्ययन मंडल द्वारा शैक्षणिक परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित विषय का विस्तृत पाठयक्रम तैयार करने के साथ–साथ परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन एवं अन्य आवश्यक निर्देशावली तैयार की जावेगी।
9. पाठयक्रम विवरण, अध्ययन मंडल द्वारा समय–समय पर संशोधित एवं अद्यतन किया जायेगा एवं प्रकाशन से पूर्व शैक्षणिक परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

अध्ययन मंडल की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

अध्ययन मंडल के निम्न कर्तव्य एवं शक्तियाँ होगी :

(a) शैक्षणिक परिषद द्वारा संदर्भ किए जाने पर किसी विषय अथवा विषय समूह के भीतर अध्ययन के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना।

(b) प्रत्येक अध्ययन के पाठयक्रम हेतु पुस्तक, पाठयपुस्तक, पूरक अध्ययन सामग्री, संदर्भ पुस्तक व अन्य अध्ययन सामग्री की अनुशंसा करना।

(c) शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों की भावना के अनुरूप, परिषद को प्रसिद्ध लेखकों व अन्य विशेषज्ञों द्वारा रचित कार्य अथवा सकंलन तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा पाठयक्रम विकास में कार्य के अंतर्गत पाठयक्रम विकास करने हेतु तैयार सामग्री को पाठयक्रम में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा करना।

(d) विभिन्न संकायों को अध्ययन पाठयक्रमों में वांछित सुधार हेतु सलाह देना।

(e) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के विभिन्न संबंधित विषयों हेतु परीक्षा मंडल को परीक्षकों के पेनल में सम्मिलित करने हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के नाम प्रश्नपत्र रचियता, परीक्षक, अनुसीमक के रूप में कार्य करने हेतु अनुशंसित करना।

(f) जहां कही स्नातकोत्तर उपाधि, डॉक्टरेट तथा उच्च उपाधियों हेतु आवश्यक हो वहां शोध प्रबंध, शोध लेख तथा मौखिक संपादित करने हेतु उपयुक्त शिक्षाविदों के नामों की अनुशंसा परीक्षा मंडल को करना।

(g) विभिन्न विषयों में उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या पाठयक्रमों के आयोजन हेतु आवश्यक सुझाव देना।

परिनियम क्रमांक –11

परीक्षा मंडल का गठन, शर्तें एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (d) एवं 26 (1) (a) का संदर्भ)

1. विश्वविद्यालय के परीक्षा मंडल को परीक्षाओं के आयोजन तथा तत्संबंधी नीतिगत निर्णय यथा प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षकों, अनुसीमक की नियुक्तियां करने, परीक्षा समय सारिणी निर्धारित करने तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा करने संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। साथ ही परीक्षा मंडल विश्वविद्यालय के विभागों में परीक्षा संपादन का पर्यवेक्षण एवं नियमन करने हेतु भी अधिकृत होगा।
2. मंडल को परीक्षा संबंधी सभी मामलों की सुनवाई करने तथा किसी मामले में परीक्षा संपादन संबंधी शिकायत पर निर्णय करने का अधिकार होगा।
3. परीक्षा मंडल में निम्न सदस्य होंगे :
   (a) तीन वर्ष की कार्यावधि हेतु चार विभाग प्रमुख सदस्य के रूप में
   (b) उक्त में से एक विभाग प्रमुख को कुलपति द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु मंडल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जावेगा
   (c) दो वरिष्ठ संकाय सदस्य 2 वर्ष की कार्यावधि हेतु
   (d) परीक्षा नियंत्रक, समिति के सचिव के रूप में
4. मंडल के सदस्य अध्यक्ष सहित कोरम का निर्माण करेंगे।

परीक्षा मंडल के कर्तव्य एवं शक्तियाँ

(1) परीक्षा मंडल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं जॉच परीक्षाओं के व्यवस्थित आयोजन को सुनिश्चित करेगा। जिसमें अनुसीमन, सारणीकरण तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा भी सम्मिलित है।

(2) मंडल शैक्षणिक सत्र में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा।

(3) परीक्षा मंडल विशेषरूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के, उपधारा (1) में वर्णित अनुसार निम्न कर्तव्यों का निर्वाह करेगा :

(a) अध्ययन मंडल द्वारा तैयार पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से ही प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षक व अनुसीमक नियुक्त करेगा तथा जहां कही आवश्यक हो समिति की

अनुशसानुसार उन नामों को हटाने का, या कुछ परीक्षकों के नामों को विवर्जित (Debar) भी कर सकता है।

(b) परीक्षा सुधार की दिशा में आवश्यक कार्य व प्रयोग करना।

(c) मंडल द्वारा सौपे गए कार्य या अध्यादेश के अनुसार अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त परीक्षा संबंधी अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

(4) तत्काल कार्यवाही संबंधी अपातस्थिति में मंडल अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी/व्यक्ति समुचित व आवश्यक कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित व आवश्यक समझे तथा की गई कार्यवाही की सूचना मंडल की आगामी बैठक में देगा।

(5) (a) प्रश्नपत्र रचनाकर्ता, परीक्षक व अनुसीमक की नियुक्ति हेतु मंडल एक विषयवार समिति गठित करेगा :

(i) कुलपति/प्रति कुलपति यदि कोई हो – अध्यक्ष

(ii) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष

(iii) संबंधित अध्ययन मंडल के अध्यक्ष

(iv) अध्ययन मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य जो परीक्षा मंडल से नामित हो।

(b) परीक्षा नियंत्रक, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(c) समिति समस्त विभागों से प्राप्त परीक्षा समय सारिणी को संकलित कर अंतिम परीक्षा समय सारिणी तैयार करेगा।

(d) समिति आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले नियमित/एटीकेटी/पूरक परीक्षार्थियों की अंतिम कुल संख्या पर अपनी सहमति देगी।

(e) समिति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम की जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात पारित व अनुमोदित करेगी कि संपूर्ण एवं विभिन्न विषयों के परिणाम प्रचलित मानक के अनुरूप हैं तथा किसी प्रकरण में जहां परिणाम असंतुलित है वहां कार्यवाही हेतु अनुशंसा कुलपति को करेगी।

(f) समिति अध्ययन मंडल द्वारा तैयार परीक्षक पैनल में से विभिन्न परीक्षाओं व जांच परीक्षाओं हेतु परीक्षकों की सूची तैयार कर परीक्षा मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मंडल ऐसी सूची से प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षक, अनुसीमक नियुक्त करेगा तथा जहां आवश्यक हो वहां रेफरीज (पंच) नियुक्त करेगा।

(g) यह समिति संबधित विषय के बंद लिफाफे में प्रश्न पत्र तीन प्रतियों में प्राप्त करेगी। समिति के अध्यक्ष द्वारा यादृच्छिक प्रक्रिया द्वारा मुहर बंद लिफाफे का चयन किया जायेगा। बंद लिफाफे बाद में मोहर सहित प्रकाशन हेतु भेजे जायेंगे।

6. (a) परीक्षार्थियों, प्रश्नपत्र रचियताओं, परीक्षकों, अनुसीमक, रेफरीज, संकाय सदस्यों या परीक्षाओं के संचालन से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा कदाचरण व की गई किसी चूक के संबंध में जॉचकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु परीक्षा मंडल अधिकतम 5 (पांच) सदस्यों की एक समिति गठित करेगा जिनमें एक अध्यक्ष होगा।

(b) उक्त समिति अपना प्रतिवेदन व अनुशंसाएं परीक्षा मंडल को प्रस्तुत करेगी जो प्रकरण में जहां आवश्यक है अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।

7. परीक्षा मंडल विश्वविद्यालय के बजट में शामिल करने हेतु वित्तीय प्राकलन तैयार करेगा एवं उसे वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

8. परीक्षा मंडल विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन/कदाचरण का प्रयोग छात्रों, संकाय सदस्य, विक्षकों व पर्यविक्षकों द्वारा किए जाने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेगा।

परिनियम क्रमांक –12

वित्त एवं बजट समिति का गठन, शर्तें व शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 धारा 21 (1) (d) तथा 28 (1) (a) का संदर्भ)

1. वित्त व बजट कमेटी में निम्न सदस्य होंगे :

(a) शासी निकाय के एक सदस्य को प्रायोजक निकाय, अध्यक्ष के रूप में नामित करेगा

(b) कुलपति

(c) कुलाधिपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ

(d) विश्वविद्यालय का कुलसचिव

(e) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी वित्त एवं बजट समिति के सचिव के रूप में होंगे।

2. वित्त एवं बजट समिति बजट निर्माण हेतु प्रति वर्ष कम से कम दो बैठकें करेगी जिसमें लेखों की जांच तथा व्यय प्रस्तावों की छानबीन की जायेगी ।

3. वित्त एवं बजट समिति में पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

4. अध्यक्ष सहित समिति के तीन सदस्य कोरम निर्मित करेंगे।

5. वित्त एवं बजट समिति की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व :

(a) समिति मध्यावधि वित्तीय पूर्वानुमान एवं वार्षिक बजट तैयार कर शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। इसके बाद प्रबंध मंडल स्वीकार करेगा।

(b) विश्वविद्यालय के संसाधन व आय के आधार पर प्रबंध मंडल से अनुमोदन प्राप्त कर समिति विश्वविद्यालय के कुल वार्षिक आवर्ती व कुल वार्षिक अनावर्ती व्ययों की सीमाएं निर्धारित करेगी।

(c) समिति सुनिश्चित करेगी की विश्वविद्यालय कोई भी व्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं करेगा। किसी वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय अथवा ऐसी मद पर व्यय जिसके लिए बजट प्रावधान नहीं है केवल वित्त समिति एवं प्रबंध मंडल के पूर्व अनुमोदन पश्चात ही किये जा सकेंगे।

(d) समिति विश्वविद्यालय हेतु संसाधन निर्मित करने की विधियां एवं माध्यमों की अनुशंसा करेगी।

(e) समिति, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों पर विचारोपरांत उसे शासी निकाय के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी

(f) समिति उपयुक्त शर्तों पर विश्वविद्यालय हेतु वसीयतें एवं दान स्वीकृत करने की अनुशंसा शासी निकाय से करेगी।

(g) समिति, अनुमोदित बजट के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की प्रगति की निगरानी करेगी तथा तत्संबंधी छमाही प्रतिवेदन प्रबंध मंडल से अनुमोदन पश्चात शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी।

(h) समिति, शासी निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के पहलुओं पर जांच करेगी जिन पर आगे विश्लेषण अथवा कार्यवाही आवश्यक है।

(i) समिति विश्वविद्यालय की कोषालय प्रबंधन नीति का अनुमोदन करेगी व आवश्यक निगरानी रखेगी।

(j) समिति, शासी निकाय को कोष आहरण नीति, आहरण प्रस्ताव एवं तत्संबंधी बाहय वित्तयन प्रबंधन तथा तत्संबंधी विस्तृत शर्तों पर सलाह देगी।

(k) समिति विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन प्रबंधन, यदि हो, कर भुगतान, क्रय तथा बाहय निकायों से वित्तीय संबंधों की देखरेख करेगी।

(l) समिति विश्वविद्यालय के वित्तीय विनियमों के निर्धारण के लिए जवाबदेह होगी।

परिनियम क्रमांक–13

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण

(अधिनियम 2005 की धारा 14 (6) के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय के निम्न अन्य अधिकारी होंगे)

1. प्रति–कुलपति :

1. प्रति–कुलपति की नियुक्ति इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा 4 वर्ष के लिए की जायेगी। चयन समिति का नेतृत्व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति करेंगे तथा जिसमें कुलपति एवं प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
2. प्रति–कुलपति वाक्य (1) में ऊपर दी गई प्रक्रिया व शर्तो का पालन कर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
3. कुलपति की अनुपस्थिति में प्रति–कुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे।
4. प्रति–कुलपति प्रायोजक निकाय द्वारा समय–समय पर तय किये गये वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
5. प्रति–कुलपति समय समय पर कुलाधिपति/कुलपति द्वारा आबंटित जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
6. प्रति–कुलपति अपने कार्यालय से कुलाधिपति को संबोधित, स्वयं हस्तलिखित इस्तीफा दे सकते हैं। प्रति–कुलपति, कुलाधिपति के द्वारा निर्धारित तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

2. परीक्षा के नियंत्रक :

1. परीक्षा का नियंत्रक विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के बीच से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
2. जब परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय रिक्त हो या तो किसी अन्य कारण से या बीमारी या अनुपस्थिति के कारण खाली होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों का ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्वाह किया जाएगा जिसे कि कुलपति इस उद्देश्य के लिए शिक्षको/अधिकारियों के मध्य से नियुक्त करें।

3. परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के संचालन और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद परीक्षाओं से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करेंगे और परिणामों की घोषणा करेंगे।
4. परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां और कर्तव्यों को कुलसचिव द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
5. परीक्षा नियंत्रक कुलसचिव के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन और इनकी अधीनस्थता के तहत काम करेगा।

3. ग्रंथपाल :

ग्रंथपाल विश्वविद्यलाय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और शिक्षकों के लिए परिनियम संख्या 19 में निर्धारित प्रक्रिया के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। ग्रंथपाल की योग्यता यूजीसी मानदंडो के अनुसार होगी और समय–समय पर शासी निकाय/शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदिन की जाएगी।

4. शारीरिक शिक्षा संचालक :

शारीरिक शिक्षा संचालक, विश्वविद्यलाय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति शिक्षकों के लिए परिनियम संख्या 19 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। शारीरिक शिक्षा संचालक की योग्यता यूजीसी मानदंडो के अनुसार होगी जो समय–समय पर शासी/शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदित होगी

5. शारीरिक शिक्षा उपसंचालक/सहायक संचालक

शारीरिक शिक्षा उप/सहायक संचालक, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जो कुलपति द्वारा समय–समय पर यूजीसी निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया योग्यता तथा वेतन पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति से नियुक्त

6. उप/सहायक ग्रंथपाल :

सहायक ग्रंथपाल विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जो समय समय पर कुलपति द्वारा यूजीसी निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया योग्यता और वेतन पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति से नियुक्त किए जायेंगे।

7. उप/सहायक कुलसचिव :

उप/सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे। उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा समय–समय पर यूजीसी के निर्देशों द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया पर निश्चित वेतन पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति से होगी।

परिनियम क्रमांक–14

विभिन्न संकायों व विभागों में विषय

(छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(एच), 21(1)(डी) और 26 (1)(ए) का संदर्भ)

संकायों और विभाग

1. विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ में निम्नलिखित संकाय शामिल है जिनसे विभिन्न विभाग जुड़े हुए है :–

I कला एवं मानविकी संकाय

1. अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाएं
2. हिन्दी
3. संस्कृत, पाली और प्राच्य अध्ययन
4. दर्शनशास्त्र
5. उर्दू, अरबी, जापानी, फ्रेंच, फारसी
6. भाषा विज्ञान
7. मराठी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषा
8. इतिहास
9. तुलनात्मक धर्म और दर्शन
10. अर्थशास्त्र
11. संगीत, नृत्य और पेंटिग सहित ललित कला
12. समाजशास्त्र
13. सामाजिक विज्ञान
14. सामाजिक कार्य
15. गृह विज्ञान
16. भूगोल
17. राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन
18. मनोविज्ञान
19. रक्षा अध्ययन

II विज्ञान संकाय

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. गणित
4. भूगर्भ शास्त्र
5. सांख्यिकीय विज्ञान
6. अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान

7. इलेक्ट्रानिक्स
8. नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
9. नैनो प्रौद्योगिकी
10. बहुलक रसायन
11. औद्योगिक रसायन
12. गैर पारंपरिक ऊर्जा
13. फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी
14. संबद्ध विज्ञान
15. इंजीनियरिंग भौतिकी
16. कम्प्यूटेशनल भौतिकी
17. कम्प्यूटेशनल रसायन
18. कम्प्यूटेशनल गणित
19. जीवनांकिकी
20. एनिमेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी
21. जैव प्रौद्योगिकी
22. सूक्ष्म जीव विज्ञान
23. जैव सूचना विज्ञान
24. वनस्पति विज्ञान
25. जूलॉजी
26. जैव–रसायन विज्ञान
27. जैव विज्ञान
28. मनुष्य जाति का विज्ञान

III इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी/डिजाइन संकाय

1. सिविल इंजीनियरिंग
2. मैक्निकल इंजीनियरिंग
3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
4. इलेक्ट्रानिक्स और कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग
5. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग
6. कैमिकल इंजीनियरिंग
7. सूचना प्रौद्योगिकी
. कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग
9. व्यावहारिक गणित
10. व्यावहारिक भौतिक
11. व्यावहारिक रसायन
12. व्यावहारिक भूगर्भशास्त्र
13. कार्यात्मक अंग्रेजी
14. खनन अभियांत्रिकी

15. धातुकर्म इंजीनियरिंग
16. वास्तुकला
17. जैव प्रौद्योगिकी
18. जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी
19. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग
20. वैमानिक अभियांत्रिकी
21. कृत्रिम बुद्धिमत्ता
22. डाटा विज्ञान

IV वाणिज्य/प्रबंधन संकाय

1. वाणिज्य
2. व्यावहारिक अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन
3. लेखा/वित्तीय/व्यवसाय/बीमा प्रबंधन सहित वाणिज्य

V शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण संकाय

1. शिक्षा
2. व्यावहारिक मनोविज्ञान
3. शारीरिक शिक्षा
4. यौगिक विज्ञान
5. वयस्क और सतत शिक्षा

VI विधि संकाय

1. कानून

VII होटल प्रबंधन के संकाय

1. होटल प्रबंधन

VII स्वास्थ्य और संबंद्ध विज्ञान के संकाय

IX पत्रकारिता और जनसंचार संकाय

1. पत्रकारिता और जनसंचार

X पुस्कालय और सूचना विज्ञान संकाय

1. . पुस्कालय और सूचना विज्ञान

ऐसे अन्य संकाय जिन्हें राज्य सरकार/ यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, समय–समय पर जोड़ा जाएगा

(2) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होगें जो उसे समय–समय पर एकेडमिक काउंसिल द्वारा सौंपे जा सकते है।

1. परिनियमों में दर्शाए अनुसार विश्वविद्यालय में संकाय होंगे।

2. अध्ययन तथा विषय संबधी तथा मल्टीमीडिया अंतर अनुशासिक संकाय के शोध हेतु जिसमें बहुसंकाय/अंतरआनुशासिक संकाय संबधी अध्ययन व शोध भी सम्मिलित है, अध्ययन एवं शोध के संदर्भ में समस्त संकाय प्रमुख आकदमिक समन्वयक प्राधिकारी की भूमिका का निर्वाह करेंगे।

3. किसी भी संकाय की स्थापना, विभाजन, संयुक्तीकरण अथवा विलोपन केवल शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा एवं शासी निकाय के अनुमोदन से ही किया जावेगा।

4. संकाय में निम्न सदस्य होंगेः

(a) प्रत्येक अध्ययन मंडल के अध्यक्ष संकाय के अंतर्गत

(b) कुलपति द्वारा, कार्यरत प्राध्यापकों/सहप्राध्यापकों, जिनका अध्यापन अनुभव न्यूनतम 10 वर्ष हो मे से एक को संकायाध्यक्ष बनाया जावेगा जो संकाय का अध्यक्ष नामित होगा।

(c) संकाय के दो विषय कुलाध्यक्ष/कुलपति द्वारा नामित

5. संकाय के कर्तव्य एंव शक्तियां नियमानुसार होगीः

(a) प्रबंध मंडल तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा संदर्भित किसी भी विषय पर विचार कर प्रतिवेदन देना।

(b) अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसा एंव एक से अधिक अध्ययन मंडल से संबधित मामलों पर विचार व अनुमोदन करना बशर्तो कि वह अन्य संकाय को प्रभावित न करते हों तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु शैक्षणिक परिषद को अनुशंसाए करना जो वह उचित समझे।

(c) अपने क्षेत्राधिकार के ऐसे आकदमिक तथ्यों पर शैक्षणिक परिषद को अनुशंसा प्रस्तुत करना जो किसी अन्य संकाय/संकायों को प्रभावित करें अथवा जिसका प्रशासनिक अथवा वित्तीय प्रभाव होता हो।

(d) अध्ययन मंडल द्वारा प्रेषित नए पाठ्यक्रम, अंतर–अनुशासिक पाठ्यक्रम तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना संबधी प्रस्तावों पर विचार कर शैक्षणिक परिषद को तत्संबधी अनुशंसा करना।

(e) शैक्षणिक परिषद से स्नातकोत्तर अथवा स्नातक पाठ्यक्रम, अध्यापन शोध व प्रशिक्षण संबधी व्यवस्था की विश्वविद्यालय संस्थान अथवा विभागों में आवश्यकता संबधी अनुशंसाएं करना।

(f) यह सुनिश्चित करना कि शैक्षणिक परिषद द्वारा निम्न के संबध में जारी निर्देशावली एवं बनाए नियमों का पालन हो रहा है:–

(i) दीर्घकालीन पाठ्यक्रम विकास

(ii) संकाय विकास

(iii) अध्यापन तथा/अथवा शिक्षण सामग्री विकास

(iv) शैक्षणिक मामलों पर शोध

(g) अध्ययन मंडल व अन्य संकायो से सहयोग कर अंर्तविभागीय व अंतर संकाय कार्यक्रमों की योजना बनाना व प्रंबध करना।

(h) शैक्षणिक परिषद को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षकों के अभिमुखीकरण व पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन की अनुशंसा करना विशेषरूप से संशोधित, नवप्रारंभ अथवा अंतर अनुशासिक विषयों हेतु।

(i) कुलपति के समक्ष संकाय संचालन के संबध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करना।

(j) अन्य किसी संदर्भित अकादमिक मामले पर विचार करना।

परिनियम क्रमांक–15

गुणवत्ता आश्वासन व शोध समिति का संविधान एवं कार्य

विश्वविद्यालय में एक गुणवत्ता आश्वासन एवं शोध समिति होगी ताकि पाठ्यक्रम/अभ्यासक्रम तथा समग्र शिक्षण/अध्यापन व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें तथा साथ ही शोध की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकें। समिति का गठन विश्वविद्यालय की सभी इकाईयों में गुणवत्ता मूल्यांकन व प्रत्यायन विशेषकर अध्यापन के संदर्भ में सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। समिति में निम्न होंगे :

1 कुलपति - अध्यक्ष

2 कुलपति द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष

3 संबंधित विषयों के अध्ययन मंडलों का अध्यक्ष

4 कुलपति द्वारा नामित एक संकाय सदस्य

5 विश्वविद्यालय का ग्रंथपाल

6 एक वरिष्ठ संकाय सदस्य जो कुलपति द्वारा नामित– सचिव

समिति के निम्न कार्य होंगे :

1 अकादमिक व शैक्षणोत्तर गतिविधियों की समीक्षा एवं संबंधित समस्याओं पर संभावित समाधान पर विचार करने हेतु समिति त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेगी।

2 प्रभावी छात्र प्रतिपुष्टि प्रणाली की स्थापना।

3 शोध छात्रों/अभ्यार्थियों की समस्यायों पर विचार व समाधान करना।

4 पाठ्यक्रम स्तर का मूल्यांकन एवं उसे वैश्विक स्तर तक उन्नत करने हेतु सहायता करना।

5 गुरू व शिष्य शिक्षण प्रणाली की स्थापना।

6 कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त शिक्षण का प्रांरभ ।

7 शोध पत्रिका का प्रकाशन।

8 विभाग प्रमुखों की अनुशंसानुसार शोध पत्रिकाएं क्रय करने हेतु ग्रंथपाल को निर्देश देना।

9 संकाय सदस्यों को शोध कार्य हेतु विभिन्न संबद्ध अभिकरणों से शोध अनुदान प्राप्त करने में सहायता करना।

10 खेलकूद, परीक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों उन्नत प्रणाली द्वारा ग्रंथालय प्रयोग, डिजिटल संस्कृति, नवीनतम अभ्यास उपकरण तथा छात्रों की देखरेख औपचारिक अध्यापन व्यवस्था से सुनिश्चित करने हेतु उन्नत मानकीकृत व्यवस्था करना।

11 ग्रंथालय के श्रेष्ठ संचालन हेतु समुचित व्यवस्था करना।

परिनियम क्रमांक–16

परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति–विधि, शर्ते

परीक्षा नियंत्रक की अहर्ता विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित की जावेगी तथा उसका चयन इस परिनियम में वर्णित समिति द्वारा किया जावेगा

1 (a) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर की जावेगी। परीक्षा नियंत्रण को 65 वर्ष की अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक 4 वर्षों के कितने भी कार्यकाल हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।

(b) परीक्षा नियंत्रक, विश्वंविद्यालय परीक्षा एवं जांच परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षा परिणामों की घोषण हेतु प्रमुख प्रभारी अधिकारी होगा। वह अपने कार्यो का निर्वाह परीक्षा मंडल के पर्यवेक्षक, निर्देशन व मार्गदर्शन में करते रहेंगे। परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा कुलपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अपना कार्य करेंगे।

2. परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा मंडल के सदस्य सचिव होंगे जिन्हें प्रबंध मंडल द्वारा प्रश्न–पत्र निर्माता, परीक्षकों व अनुसीमक की नियुक्ति का कार्य करने का दायित्व सौंपा जावेगा। वह परीक्षा संबंधी नीतियों के त्वरित व उचित कार्यान्वयन हेतु भी उत्तरदायी रहेंगे।

3. उपधारा (1)(b) के संदर्भ में बिना किसी पूर्वाग्रह के परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं, जॉच परीक्षा व परीक्षा परिणामों की घोषणा संबंधी समस्त व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी रहेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि –

(a) परीक्षा कैलेंडर तैयार कर उसकी अग्रिम घोषणा करना।

(b) परीक्षार्थियों के परीक्षा में प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों तैयार करने की व्यवस्था करना।

(c) विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कदाचरण पाए जाने पर परिस्थितियों की मांग पर परीक्षाएं स्थगित करना अथवा पूर्ण या आंशिक परीक्षाएं निरस्त करने के साथ साथ कदाचरण में संलिप्त पाए गए ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह महाविद्यालय /संस्थानों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, सिविल अथवा अपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करना।

(d) परीक्षा संबंधी मामलों में कदाचार के दोषी पाए जाने पर, विद्यार्थी, प्रश्नपत्र निर्माता, परीक्षक, अनुसीमक या अन्य व्यक्ति जो परीक्षा से संबंधित हो, के खिलाफ अनुशासन समिति की अनुशंसा पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(e) समय–समय पर विश्वविद्यालय परीक्षा परिणामों की समीक्षा कर प्रतिवेदन परीक्षा समिति तथा/अथवा प्रबंध मंडल तथा/अथवा शासी निकाय को प्रेषित करना।

परिनियमों में अन्यथा उपबंधित ना होते हुए भी, परीक्षा नियंत्रक को समय समय पर कुलपति द्वारा सौंपे गए दायित्वों को भी निष्पादित करना होगा।

परिनियम क्रमांक–17

ग्रंथपाल की नियुक्ति विधि, शर्ते ग्रंथालय समिति का गठन व कार्य

1. ग्रंथपाल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा उनकी अर्द्धवार्षिकी आयु 65 वर्ष होगी। ग्रंथपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेंगे।
2. ग्रंथपाल की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित समिति की सिफारिश पर की जावेगी। ग्रंथपाल की अर्हता, वेतन, सेवा नियम व शर्ते यूजीसी के निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के शासी विकाय द्वारा निर्धारित होगी।
3. जब ग्रंथपाल का पद रिक्त हो, ग्रंथपाल बीमारी अथवा अन्य कारण से अनुपस्थित रहे या अन्य कारणों से अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वाह में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में ग्रंथपाल के कर्तव्यों का अस्थायी रूप से निर्वाह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जावेगा, जिसे कुलपति इस हेतु नियुक्त करेंगे। ऐसी नियुक्ति किसी भी दशा में छःमाह से अधिक की न होगी अथवा नव नियुक्ति ग्रंथपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा कार्यरत ग्रंथपाल द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो।
4. ग्रंथपाल विश्वविद्यालय ग्रंथालय/ ग्रंथालयों के विकास आधुनिकीकरण, रखरखाव, प्रबंधन व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी रहेगा तथा वह पांडुलिपियों के संग्रहण व सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।
5. ग्रंथपाल विश्वविद्यालय ग्रंथालय में उपलब्ध समस्त पुस्तकों, नियतकालिक, पत्रिकाओं, पांडुलिपियों, जर्नल्स तथा ग्रंथालय उपकरणों का संरक्षक होगा वह यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रंथालय में कोई भी अनियमितता न हो तथा पुस्तकें, पत्रिकाएं, पांडुलिपियॉं, जर्नल्स व उपकरण गुम न हो तथा क्षतिग्रस्त न हों। वह पुस्तकों का नियतकालिक सत्यापन करेगा। उसे ग्रंथालय/ग्रंथालयों के विकास संबंधी व्ययों हेतु अतिरिक्त संसाधन क्रियाशील करने सहित सभी मामलों पर विश्वविद्यालय को सलाह देने का अधिकार होगा।
6. ग्रंथपाल ग्रंथालय समिति का सदस्य सचिव होगा तथा समिति के निर्णयों के उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। उसे समिति में मताधिकार नहीं होगा।
7. उसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु गठित समिति द्वारा की जावेगी।

ग्रंथालय समिति

1. (a) विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों में ग्रंथालय सेवा तथा ग्रंथालय प्रशासन संगठन व रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु एक ग्रंथालय समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) कुलपति द्वारा नामित किसी एक संकाय के संकायाध्यक्ष

(iii) कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय का एक विभाग प्रमुख

(iv) शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित परिषद का एक शिक्षक

(v) कुलसचिव

(vi) ग्रंथपाल – सचिव

(b) सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। पदेन सदस्य को छोड़कर।

(c) समिति के कर्तव्य निम्न होगे :

(i) ग्रंथालय का उचित प्रबंधन व अभिलेखीकरण सेवाएं सुनिश्चित करते हुए पुस्तकों का भंडार/संकलन को अद्यतन करना।

(ii) ग्रंथालय एवं अभिलेखीकरण सेवाओं को उन्नत व आधुनिक बनाने हेतु पहल करना।

(iii) प्रबंध मंडल को छात्रों व अन्यों द्वारा ग्रंथालय सेवा प्राप्त करने के प्रतिफल स्वरूप शुल्क व अन्य व्ययों वसूले जाने संबंधी अनुशंसा करना।

(iv) वित्त समिति के अनुमोदन हेतु ग्रंथालय विकास संबंधी वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार करना।

(v) कुलपति के मार्गदर्शन में ग्रंथालय स्थित पांडुलिपियों एवं ऐतिहासिक अभिलेखों की अभिरक्षा हेतु उपदृसमिति गठित करना।

परिनियम क्रमांक–18

शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 धारा 26(1)(डी), (इ) व (एफ) का संदर्भ)

1. विश्वविद्यालय, संबंधित नियामक के निकाय के निर्देशानुसार समस्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियाँ उचित समयावधि के भीतर संपन्न कर लेगा। शिक्षकों हेतु आहर्ता, संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।
2. शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता :

(a) विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता संबंधी नियम जो यूजीसी विनियमों में तथा आगामी संशोधनों में निहित है का पालन करेगा। इस संबंध में यूजीसी परिपत्र "विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कार्मिकों की न्यूनतम अहर्ता और उच्च शिक्षा में स्तरों को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित नीति का भी पालन करेगा।

(b) विश्वविद्यालय नियुक्तियों के संबंध में यूजीसी तथा केन्द्र सरकार द्वारा गठित अन्य कोई सक्षम निकाय के द्वारा निर्धारित आदि न्यूनतम शर्तो का पालन भी करेगा। अलग–अलग विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की शर्ते संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुसार होगी। इसी प्रकार से अन्य विषयों में भी नियुक्ति संबंधी न्यूतम अहर्ता, संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।

3. अकादमिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु चयन समिति :

(i) अस्थायी शिक्षकीय स्टाफ को छोड़कर प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, शोध कर्मचारी एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति की अनुशंसा हेतु एक चयन समिति होगी।

(ii) समस्त शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी होगी।

(iii) अकादमिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति गठित होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :

1 कुलपति – अध्यक्ष

2 कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ जो विशेषज्ञों के पैनल से शासी निकाय द्वारा अनुमोदित हों।

3 कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य

4 छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का एक प्रतिनिधि जो उसका सदस्य हो अथवा अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय प्राध्यापक संवर्ग से निम्न स्तर का न हो।

5 कुलसचिव सचिव होंगे। (मताधिकार के बिना)

3.1 चयन समिति की बैठक :

(i) चयन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष द्वारा आहूत की जावेगी। जब और जैसे आवश्यक हो।

(ii) चयन समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से एक सदस्य विषय विशेषज्ञ हो।

(iii) चयन समिति के अध्यक्ष के पास साधिकार मत के साथ–साथ मत देने का भी अधिकार होगा।

4. नियुक्ति की विशिष्ट प्रणाली :

इस परिनियम की धारा – 3 में अन्यथा उपबंधित ना होते हुए भी :

1. विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक अथवा अन्य अकादमिक पद को छोड़कर पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु उच्च अकादमिक अलंकरणयुक्त किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को ऐसे नियम व शर्तो पर जो वे उचित समझे तथा संबंधित व्यक्ति जिस पर सहमत हो आमंत्रित कर सकते है तथापि ऐसी नियुक्ति शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

2. जहां किसी शिक्षक के पद की अस्थायी रिक्तता के कारण नियुक्ति होनी है वहां ऐसी नियुक्ति प्राविण्यता के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा से की जावेगी। यदि कुलपति यह समझते हैं कि अध्यापन कार्य के हित में रिक्त पद पर तत्काल नियुक्ति आवश्यक है, तो पूर्ण अहर्ता प्राप्त किसी व्यक्ति को प्रथमतया, अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु निम्नानुसार गठित स्थानीय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त कर सकते है बशर्ते ऐसी नियुक्ति से प्रबंध मंडल को अवगत करा दिया गया हो :

(i) कुलपति

(ii) संबंधित संकाय के डीन

(iii) कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ परन्तु जहां विभाग प्रमुख स्वयं डीन भी है वहां पर कुलपति एक के स्थान पर दो विशेषज्ञों को नामित करेंगे।

5. संकाय हेतु पारिश्रमिक नीति :

समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों को भुगतान योग्य वेतन एवं भत्ते ऐसे वेतनमान अथवा वेतनमान के ऐसे स्तर पर देय होंगे जिसे प्रबंधन मंडल अंगीकृत करें अथवा समय–समय पर जिस पर निर्णय लेवे।

6. आचार संहिता :

संकाय के सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा नियमों व विनियमों के अनुसार निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होगा।

7. भविष्य निधि :

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि को गठित करेगा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अभिदान करेगा।

परिनियम क्रमांक–19

विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति विधि एवं शर्तें

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 20 व 26(1)(सी) का संदर्भ)

1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 के धारा 14 के वाक्य (1) से (5) में दर्शित अधिकारियों के अतिरिक्त शासी निकाय द्वारा स्वयं निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है अथवा कुलपति को नियुक्ति हेतु अधिकृत किया जा सकता है तथा ऐसे अधिकारियों के कर्तव्य एवं कार्य भारती विश्वविद्यालय के मानक, परिनियमों अध्यादेशों व विनियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करने हेतु कहा जा सकता है :
   (i) संकायों के अध्यक्ष
   (ii) विभिन्न कार्यक्रमों के संचालकगण
   (iii) विश्वविद्यालय अभियंता
   (iv) अन्य कोई अधिकारी यथा: उप–कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, ग्रंथपाल, परीक्षा नियंत्रक, क्षेत्रीय समन्वयक, संचालक छात्र कल्याण, छात्रावास वार्डन, चिकित्सा अधिकारी।
2. उक्त वाक्य –(1) में दर्शित अधिकारियों की नियुतिक्त कुलपति द्वारा इस आशय से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जावेगी। चयन समिति विश्वविद्यालय के शासी निकाय अथवा प्रबंध मंडल अथवा शैक्षणिक परिषद के निर्णयों के अनुसार अहर्ता, प्रक्रिया व वेतन संबंधी मानकों का अनुसरण करेगी जैसा मामला हो।
3. शासी निकाय विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक उप–कुलसचिवों की नियुक्ति की जा सकती है। जिनकी अहर्ता सक्षम प्राधिकारी/यूजीसी निर्देशों के द्वारा तय की जाएगी।
4. उक्त वाक्य –(1) में दर्शित अधिकारियों के वेतन इस संबंध में शासी निकाय द्वारा निर्धारित अनुसार होंगे।
5. उक्त वाक्य –(1) में दर्शित अधिकारियों के कर्तव्य एवं शक्तियां इस संबंध में शासी निकाय द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।
6. उक्त वाक्य –(1) में दर्शित अधिकारीगण परिनियमों में कुछ भी उपबंधित न होने के पश्चात भी विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रबंध मंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी निर्वाह करेंगे।

7. प्रायोजक निकाय की अनुशंसा पर शासी निकाय अन्य कोई भी शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होने पर कर सकता है।
8. परिनियमों के अनुसार निर्धारित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तियों की जावेगी।

परिनियम क्रमांक–20

गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 26(1)(सी)(इ) व (एफ) का संदर्भ)

1. गैर–शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता :

(a) विश्वविद्यालय गैर–शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु यूजीसी द्वारा (यदि हो) अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित अहर्ता का पालन करेंगी।

(b) विश्वविद्यालय नियुक्ति हेतु युजीसी द्वारा निर्धारित (यदि हो) अन्य न्यूनतम शर्तें अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धरित ऐसी न्यूनतम शर्तो का भी पालन करेगा।

2. गैर–शैक्षणिक कर्मचारी–अधिकारी वर्ग की नियुक्ति हेतु चयन समिति

(a) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा परीक्षा नियंत्रक (कुलसचिव तथा मुख्य लेखा एवं वित अधिकारी को छोड़कर) की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) कुलपति द्वारा नामित एक प्राध्यापक अथवा सह–प्राध्यापक

(iii) शासी निकाय द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ

(iv) कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे

(b) अन्य प्रशासनिक, गैर–शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय की चयन समिति

विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक (गैर–शैक्षणिक अधिकारी कर्मचारी) की नियुक्ति हेतु चयन समति निम्न होगीः

(i) कुलसचिव अध्यक्ष होंगे

(ii) कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ

(iii) शासी निकास द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ

(c) चयन समिति की बैठक .

(i) चयन समिति के अध्यक्ष, जब और जैसे आवश्यकता हो समिति की बैठक आहूत कर सकेंगा।

(ii) समिति के तीन सदस्य कोरम पूर्ण करेंगे।

(iii) समिति के अध्यक्ष के पास स्वयं का साधिकार वोट के साथ–साथ वोट का भी अधिकार होगा।

(iv) नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा तथा शासी निकास से अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलसचिव नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।

3. पारिश्रमिक नीति :–

3.1 समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों को भुगतान योग्य वेतन व भत्ते ऐसे वेतनमान अथवा वेतनमान के ऐसे स्तर पर निर्धारित व देय होंगे जैसा कि प्रबंध मंडल अंग्रीकृत करे अथवा समय –समय जो निर्णय लेवें।

3.2 विश्वविद्यालय के समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों नियक्ति के नियम व शर्ते शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

4. आचार संहिता :

संकाय के सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार निर्मित आचार संहिता का पालन करना होगा।

5. भविष्य निधि :

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि का गठन करेगा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अभिदान करेगा।

परिनियम क्रमांक–21

पंचनिर्णय/परिवेदना समिति

1. विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की शिकायतों व परिवेदनाओं के निराकरण हेतु एक परिवेदना निवारण/पंच निर्णय समिति होगी। समिति में निम्न सदस्य होंगे :

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) प्रबंध मंडल के सदस्यों में से प्रबंध मंडल द्वारा नामित चार सदस्य

(iii) कुलसचिव सदस्य सचिव (मताधिकार के बिना)

(iv) समिति उसे प्रस्तुत परिवेदनाओं एवं शिकायतों को ग्रहण कर उन पर विचार करेगी।

(v) समिति प्राप्त परिवेदनाओं पर नियमानुसार विचार कर यथासंभव तीन माह की समय सीमा में उनका समाधान करेगी। यह समय सीमा एक माह की अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी। यदि आवश्यक हो तो ऐसे समाधानों संबंधी प्रतिवेदन प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत कये जा सकेंगे। प्रबंध मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

परिनियम क्रमांक–22

मानद, उपाधियाँ एवं अलंकरण

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 26(1)(जी) का संदर्भ)

1. मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में अकादमिक परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। यह प्रस्ताव कुलाधिपति/कुलपति के नामित और संबंधित संकाय के डीन के समक्ष रखा जायेगा। यदि समिति सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करेगा की जिस व्यक्ति को मानद डिग्री प्रदान किया जा रहा उसे प्रदान किया जा सकता है तभी उस प्रस्ताव को शासी निकाय के समक्ष रखा जायेगा।
2. यदि शासी निकाय के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में हो तभी उसे कुलाधिपति के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जा सकेगा। कुलाधिपति अंतिम मंजूरी के लिए कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

परिनियम क्रमांक–23

शुल्क माफी छात्रवृत्ति तथा अध्ययनवृत्ति

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 धारा 26(1)(एच) का संदर्भ)

1. विश्वविद्यालय के छात्रों को शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति को अकादमिक प्रावीण्य तथा शैक्षणेत्तर प्रावीण्य के आधार पर प्रदान किया जावेगा। इस हेतु पात्र छात्रों का चयन कुलपति की अध्यक्षता एवं संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष की सदस्यतावाली समिति करेगी। जिसमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे।
2. शुल्क छूट, छात्रवृत्ति अथवा अध्ययनवृत्ति इस उद्देश्य से गठित समिति द्वारा प्रदत्त सूची के आधार पर शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात ही प्रदाय किए जावेंगे।

परिनियम क्रमांक–24

प्रवेश नीति से संबंधित प्रावधान एवं आरक्षण

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 26(1)(आई) का संदर्भ)

विश्वविद्यालय में वे सभी अभ्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे जो निर्धारित अहर्ता रखते हो। विश्वविद्यालय की प्रवेश छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित नीति शासन की आरक्षण नीति तथा अन्य प्रभावशील कानूनों व विनियमों तथा संबंधित विषयों हेतु रचित अध्यादेशों के परिप्रेक्ष्य में शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जावेगी।

विश्वविद्यालय प्रतियोगी प्राविण्यता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्मित नियमों, यदि हो, प्रवेश दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय के विभागों में सभी विषयों में राज्य शासन द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित विषयों एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित नियमों को ध्यान में रखकर प्रतियोगी प्रावीण्यता के आधार पर नियमानुसार प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा और यह भी कि जहां राज्य शासन द्वारा छात्रों के हित में प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत निर्मित हो, विश्वविद्यालय उन्हें अंगीकृत कर ऐसे नियमों को अधिकारिक गजट में अकादमिक सत्र प्रारंभ से पूर्व प्रकाशित करेगा।

और यह भी कि विश्वविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था की दृष्टि से संबंधित अधिकारी किसी छात्र को प्रवेश उसके अभिलेखों के आधार पर देने से इंकार भी कर सकते है।

विश्वविद्यालय राज्य शासन की शैक्षणिक संस्थाओं विशेषकर निजी विश्वविद्यालय हेतु प्रचलित वर्तमान आरक्षण नीति तथा राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय से अपेक्षित अन्य आवश्वासनों के प्रति वचनबद्ध रहेगा।

यदि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के निवासी छात्रों हेतु आरक्षित सीट्स अथवा कमजोर वर्गो यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिलाओं हेतु आरक्षित सीट्स में से कुछ रिक्त रह जाने की स्थिति में, ऐसी रिक्त सीट्स अन्य श्रेणी के छात्रों से प्राविण्यता के आधार पर आपूरित कर ली जावेगी।

परिनियम क्रमांक–25

शुल्क विनियम

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 26(1)(आई) का संदर्भ)

1. विश्वविद्यालय छात्रों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क के संबंध में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के दिशा निर्देश अन्य प्रभावशील नियमों व विनियमों तथा संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों व छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के निर्देशों के प्रति वचनबद्ध रहेगा।
2. विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु शुल्क का निर्धारण प्रबंध मंडल द्वारा किया जावेगा।
3. विश्वविद्यालय समय समय पर कई अन्य शुल्क भी निधारित करेगा जिनमें प्रवेश शुल्क, छात्रावास शुल्क, भोजनालय शुल्क, खेलकूद, ग्रंथालय, परीक्षा, चिकित्सा शुल्क सहित अन्य सेवाओं यथा लॉड्री व मुद्रण शुल्क भी सम्मिलित हैं।
4. विश्वविद्यालय शुल्क विवरण छात्रों को उस सत्र की प्रवेश विवरणिका के साथ उपलब्ध करा दिया जावेगा।
5. किसी भी विषय/पाठ्यक्रम के शुल्क ढांचे में किसी भी परिवर्तन से पूर्व शासी निकाय तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग सहित संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

परिनियम क्रमांक–26

विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीट संख्या

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 28(1)(के) का संदर्भ)

1. प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक अकादमिक सत्र हेतु सीट संख्या का निर्धारण प्रबंध मंडल द्वारा शैक्षणिक परिषद एवं नियामक निकाय के अनुमोदन पश्चात किया जावेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम/विषय हेतु निर्धारित की गई सीट संख्या में परिवर्तन से संबंधित वैधानिक निकाय तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को अवगत कराया जावेगा।

परिनियम क्रमांक–27

अकादमिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी एवं विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को हटाना

(छ.ग. निजी वि.वि. (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 26(1)(इ) का संदर्भ)

1. शैक्षणिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी तथा गैर–शैक्षणिक एवं गैर–प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तो में कुछ भी अन्यथा न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय सेवा से, नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है यदि ऐसा व्यक्ति :

   (a) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो।
   (b) किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध या नैतिक अक्षमता का दोषी करार दिया जाकर उस संबंध में कारावास की सजा सुनाई गई हो।
   (c) ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त शक्तियों व कर्तव्य निर्वाह के परिप्रेक्ष्य में गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया हो।
   (d) विधिवत गठित जांच समिति के निर्देश पर

2. जहां ऐसे शैक्षणिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी अथवा गैर–शैक्षणिक एवं गैर प्रशासनिक कर्मचारी की पदमुक्ति उपरोक्त वाक्य–(1) में स्पष्ट कारणों के बजाय अन्य कारणों से हो वहां ऐसा व्यक्ति रोजगार अनुबंध की शर्तो के अनुसार पदमुक्त किया जावेगा।
3. ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसे उपरोक्त (अ) से (द) में से किसी भी कारण से दोषी पाया गया हो, को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उसे अपने बचाव में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जावेगा जिसके बाद ही कोई अंतिम कार्यवाही की जा सकेगी।

परिनियम क्रमांक–28

अधिनियम का संरक्षण, कार्यवाहियां एवं आदेश

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 26(1)(इ) का संदर्भ)

1. शासी निकास, प्रबंध मंडल या अन्य कोई अधिकारी, प्राधिकारी, निकाय समिति या विश्वविद्यालय द्वारा गठित किसी भी मंडल द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकेगा या उस पर केवल इस आधार पर प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकेगा कि विश्वविद्यालय के संविधान में किसी प्रकार की रिक्तता (कमी) या दोष विद्यमान है।
2. किसी मुकदमें की स्थिति में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

परिनियम क्रमांक–29

नव–स्थापित भारती विश्वविद्यालय के वर्तमान कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में।

नव स्थापित भारती विश्वविद्यालय में, होलिस्टिक फाउंडेशन के तहत काम करने वाले वर्तमान स्टाफ को भारती विश्वविद्यालय के लिए उपलब्ध रिक्ति और योग्यता आवश्यकता के आधार पर भारती विश्वविद्यालय के नियमों और शर्तों के आधार पर उनके वर्तमान वेतन संरचना को संरक्षण देने के आधार पर नियुक्त / स्थानांतरित / पदोन्नत किया जाएगा।

अध्यादेश–1

विद्यार्थियों का प्रवेश एवं नामांकन

(धारा 28 (1) (क))

विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश एवं नामांकन इसके पश्चात उपबंधित रीति से विनियमित होंगे।

परिभाषाएं :

(क) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) से है।

(ख) "ए.आई.यू." का तात्पर्य भारतीय विश्वविद्यालय संघ से है।

(ग) "ए.आई.सी.टी.ई." का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है।

(घ) "एन.सी.टी.ई." का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से है।

(ङ) "आई.सी.सी.आर." का तात्पर्य भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् से है।

(च) "अर्हकारी परीक्षा" से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण करने पर छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. व डॉक्टरेट उपाधियों अथवा डिप्लोमा या प्रमाण पत्रों की ओर अग्रसरित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माना जाता है।

(छ) "एटीकेटी" अभ्यर्थी से तात्पर्य ऐसा अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न–पत्रों की संख्या के 35 प्रतिशत से कम प्राप्त कर असफल रहा जहां 35 प्रतिशत के निर्धारण हेतु गणना हमेशा पूर्णांकित तरीके से होगी एवं ऐसा अभ्यर्थी पुनः उसी सेमेस्टर की परीक्षा में आगामी सेमेस्टर परीक्षा के साथ प्रविष्ट हो रहा है।

(ज) समकक्ष परीक्षा से अभिप्राय हैः

- कोई मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल
- किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय

- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो, के द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा।

(झ) "अंतराल कालावधि" से अभिप्राय है अभ्यर्थी द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में अंतिम उपस्थिति की तिथि तथा इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के मध्य के अंतराल से है।

1 प्रवेश हेतु पात्रता :

1.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता का उल्लेख संबंधित पाठ्यक्रम विवरण में किया जावेगा। जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके द्वारा किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा मण्डल (HSSC) की परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली गई हो अथवा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो जिसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा समय–समय पर समकक्ष परीक्षा के रूप में मान्य किया गया हो।

1.2 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा से बाहर का कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होगा।

1.3 यह भी प्रावधानित है कि विश्वविद्यालय के कुलपति शासकीय निर्देशावली के अनुसार अभ्यर्थी की व्यक्तिगत प्रावीण्यता/उपलब्धियों के आधार पर आयु सीमा को शिथिल भी कर सकेंगे।

1.4 किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न हो तथा वह प्रवेश हेतु निर्धारित ऐसी अन्य आव्रजन भी धारित करता हो जो वांछित है।

1.5 यह भी आगे प्रावधानित है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्नातकोत्तर परीक्षा

हेतु तब तक अर्हता प्राप्त नहीं माना जावेगा जब तक कि उसके द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण न कर लिया गया हो।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीट्स की अधिकतम संख्या का निर्धारण अकादमिक परिषद्, संबंधित नियामक संस्था द्वारा समय–समय तय मापदंडो एवं राज्य शासन की मार्गदर्शिका, यदि हो।

प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के निदेर्शों का पालन किया जाएगा।

2 प्रवेश हेतु प्रावधान :

2.1 कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश को अधिकार के रूप में दावे के पात्र नहीं होंगे।

2.2 प्रवेश प्रक्रिया छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जावेगी।

2.3 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रावीण्यता के आधार पर और/या प्रवेश समिति द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

2.4 प्रवेश के समय प्रदेश शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

2.5 प्रवेश शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार प्रस्तावित किया जावेगा या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार दिया जावेगा।

2.6 प्रवेश आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

(1) स्कूल अथवा महाविद्यालय छोड़ने विषयक मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो संबंधित संस्था जहां छात्र अध्ययनरत था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(2) अंक विवरण की सत्य प्रति जो दर्शाता हो कि आवेदक ने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है।

(3) यदि आवेदक उक्त परीक्षा मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से भिन्न मण्डल या इस विश्वविद्यालय से भिन्न अन्य

विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो तो उसे पात्रता हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ ऐसे मण्डल या विश्वविद्यालय के सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित आव्रजन प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित आव्रजन (माइग्रेशन) शुल्क की राशि जमा करनी होगी। छात्र द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख कुटरचित, छेड़छाड युक्त या असत्य पाए जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा तथा उसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

2.7 प्रवेश हेतु आवेदन सीधे/काउंसिलिंग द्वारा/मार्गदर्शन/सूचना केन्द्र/डाक द्वारा/ विश्वविद्यालय वेबसाइट द्वारा भेजे जा सकेंगे। भारत अथवा विदेश के छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक है वे विश्वविद्यालय से आनलाईन संपर्क कर सकते है।

2.8 प्रवेश समिति आवेदनों की जांच कर चयनित आवेदकों को अनंतिम प्रवेश देगी।

2.9 प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी तथा उसके माता–पिता या विधिक पालक इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य प्राधिकारियों के अनुशासानात्मक एनं धन संबंधी अधिकारिता के अधीन स्वयं को रखेगा।

2.10 कोई आवेदक जिसने अन्य मान्य विश्वविद्यालय/मान्य निकाय से कोई डिग्री या डिप्लोमा के भाग को उत्तीर्ण किया है, को विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद, संबंधित उत्तीर्ण परीक्षा की समतुल्यता निर्धारित करने के पश्चात आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश दे सकेगें ।

2.11 ऐसा प्रवेशोच्छुक छात्र एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक के गेप अंतराल के बाद प्रवेश चाहता हो उसे अपने आवेदन के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें गैप अंतराल के कारणों को दर्शाते हुए यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसने संबंधित अवधि में किसी भी महाविद्यालय/संस्थान/या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया

था तथा न तो उसे निष्कासित किया गया और न ही किसी आपराधिक मामले में उसे कारावास हुआ।

2.12 छात्रों के प्रवेश प्रत्येक सेमेस्टर प्रारंभ होने के एक माह के भीतर पूर्ण कर लिए जावेंगे अथवा ऐसी तिथि तक जिसे शैक्षणिक परिषद ने निर्धारित किया हो।

2.13 यह भी प्रावधनित है कि जब निर्धारित अंतिम तिथि अथवा शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पर कोई अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जावेगा।

2.14 कुलपति को किसी पाठयक्रम में विद्यार्थी को प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश देने का अधिकार होगा, सिर्फ स्थानान्तरण के मामले में ।

2.15 छात्रों का विश्वविद्यालय में पंजीयन मूल प्रयास के पश्चात दो अतिरिक्त प्रयासो (Attempts) तक वैध रहेगा। इस समय सीमा के पश्चात अनुत्तीर्ण छात्रों को समय–समय पर परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना होगा।

3 कतिपय आधारों पर प्रवेश हेतु निषेध :

3.1 कोई भी छात्र एक साथ दो नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

3.2 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई भी छात्र प्रमाण पत्र अथवा अंशकालिक पाठ्यक्रम कर सकेगा बशर्ते वह इस उद्देश्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक अर्हता रखता हो।

3.3 कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेगा तथापि वह उसी संकाय के उच्च पाठ्यक्रम में या अतिरिक्त उपाधि/डिप्लोमा उसी स्तर के भिन्न क्षेत्र में प्राप्त करने हेतु प्रवेश ले सकेगा बशर्ते वह आव्रजन संबंधी अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो।

3.4 संकायों की सूची परिनियम क्रं.–14 में दी गई है परंतु व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची में कोई भी वृद्धि या विलोपन के संबंध में

विश्वविद्यालय समय–समय पर निर्णय लेगा।

3.5 ऐसा कोई भी छात्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित, निष्कासित वंचित या प्रतिबंधित किया गया हो विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश से प्रतिबंधित होगा।

3.6 भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में किसी भी पाठ्यक्रम में प्राप्त प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी सूचना झूठी/गलत हो या उसके आचरण के आधार पर भी ऐसा किया जा सकेगा।

3.7 यदि विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्कासन की सजा के अधीन हो या परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया गया हो तो उसे निष्कासन या अयोग्यता की अवधि में इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

3.8 अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित किसी भी विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अर्हकारी परीक्षा के यथा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण मान्य न कर लिया जावे।

3.9 कोई भी छात्र जिसने अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग को उत्तीर्ण किया हो उसे कुलपति या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय में आगामी उच्च कक्षा की परीक्षा हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

3.10 अभिभावकों के स्थानांतरण के कारण अन्य विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय आ रहे विद्यार्थियों को प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

3.11 सत्र प्रारंभ के उपरांत जो विद्यार्थी संस्था में प्रवेश लेते है उन्हें पूरे शैक्षणिक सत्र की अध्ययन एवं अन्य शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।

4 विद्यार्थियों का नामांकन/पंजीयन :

4.1 विभाग/स्कूल प्रमुख प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण समस्त मूल अभिलेखों व नामांकन शुल्क के साथ जैसा कि विद्या परिषद समय –समय पर निर्धारित करें कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

4.2 प्रवेश हेतु प्रस्तुत स्थानांतरण व आव्रजन प्रमाण पत्र भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग की संपत्ति होगी।

4.3 नामांकित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय छोड़ते समय भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग की मुद्रा के अधीन नया स्थानांतरण प्रमण पत्र तथा आव्रजन प्रमाण पत्र जारी होगा।

4.4 किसी भी विद्यार्थी को भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग की किसी भी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के रूप में सही तरीके से नामांकित न हुआ हो।

4.5 कुलसचिव द्वारा समस्त नामांकित छात्रों का एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा जो भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के विभिन्न संकायों व संस्थानों में अध्ययन/शोध कार्य कर रहे है।

4.6 उक्त रजिस्टर में छात्रों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारियां यथा प्रवेश प्राप्ति तिथि, विश्वविद्यालय छोड़ने की तिथि सहित विभिन्न परीक्षाओं जिनमें उपाधि/डिप्लोमा/प्रदत्त प्रमाण–पत्र आदि जानकारियाँ होगी।

4.7 छात्र को उसके नामांकन क्रमांक की जानकारी दी जावेगी, छात्र को विश्वविद्यालय से किसी भी संवाद हेतु उस क्रमांक का उल्लेख करना होगा जिसके सम्मुख रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है, उसे भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग परीक्षाओं में प्रवेश हेतु भी उक्त नामांकन क्रमांक पश्चावर्ती आवेदनों में दर्शाना होगा।

4.8 परीक्षाओं हेतु प्राप्त सभी आवेदनों की स्क्रूटनी (जाँच पड़ताल) नामांकन पंजी के परिप्रेक्ष्य में की जावेगी। परीक्षा विभाग आवेदकों को ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करेगा जिनमें अपूर्ण जानकारी है तथा पूर्ण

विवरण तथा वांछित अभिलेख समय–सीमा से वांछित है।

4.9 कोई भी नामांकित छात्र, नामांकन पंजी में स्वयं से संबंधित दर्ज विवरण की प्रमाणित प्रति निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्राप्त कर सकता है।

4.10 किसी छात्र को विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में तब ही सदस्य रूप में नामांकित किया जा सकेगा जब उसे प्रवेश समिति/विभाग प्रमुख द्वारा प्रवेश दे दिया गया हो तथा उसके द्वारा निर्धारित शुल्क चुका दिया गया हो।

5 नाम परिवर्तन :

5.1 विद्यार्थी जो नामांकन पंजी में अपना नाम परिवर्तित करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित संकाय के संस्था प्रमुख या विभाग प्रमुख के माध्यम से कुलसचिव को आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा :

(1) निर्धारित शुल्क

(2) उसके वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से संबंधित शपथ–पत्र, अवयस्क की स्थिति में मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष उसके माता–पिता या पालक द्वारा, एवं व्यस्क की स्थिति में वह स्वयं शपथ ले सकता है।

(3) समाचार पत्र में प्रकाशन जिसमें नाम के प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना हो परंतु विवाह उपरांत महिला यदि नाम परिवर्तन करे तो उस पर प्रकाशन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

कुलसचिव ऐसे आवेदनों पर विचारोपरांत निर्णय लेंगे एवं शैक्षणिक परिषद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6 विषय परिवर्तन :

6.1 सामान्यतया एक छात्र के वैकल्पिक/सहायक/विशेषज्ञता वाले विषय जो प्रवेश के समय उसके द्वारा चयन किए गए विषय है में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने ऐसी अनुमति हेतु आवेदन प्रवेश तिथि से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत न किया हो। ऐसे आवेदन

संकायाध्यक्ष के माध्यम से विभाग प्रमुख की अनुशंसा सहित कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगो व महिला वर्ग के छात्रों के प्रवेश पर विचार :

7.1 अ.जा., अ.ज.जा., दिव्यांगो व महिला वर्ग के आवेदक छात्रों का प्रतिवर्ष प्रवेश आरक्षित वर्ग में करने हेतु समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रवेश संबंधी नियमों के तहत तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दिया जावेगा।

टीपः– विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश संबंधी नियमों में किसी अस्पष्टता की दशा में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

8 प्रवेश समिति :

8.1 भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में प्रवेश के विनियमन हेतु प्रत्येक संकाय/विभाग में एम फिल, पी.एचडी, स्नाताकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट हेतु एक प्रवेश समिति गठित की जावेगी, जिसका प्रमुख प्रवेश समन्वयक होगा।

8.2 समिति द्वारा निम्नलिखित कार्य प्रतिपादित किये जायेंगेः

(i) विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर प्रवेश हेतु निर्धारित शर्तो के अनुसार अभ्यार्थियों से प्राप्त प्रवेश आवेदनों का परीक्षण।

(ii) प्रवेश परीक्षाओं और/या साक्षात्कार का और या अन्यथा उपबंधित अनुसार प्रक्रिया करेगी।

(iii) प्रवेश परीक्षा पश्चात प्रत्येक वर्ग के प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट संख्या की तीन गुनी संख्या में आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेगी केवल उन्ही उम्मीदवार को आमंत्रित किया जावेगा जिन्होने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 34 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।

(iv) प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगी।

(अ) संबंधित संकायाध्यक्ष के समस्त अस्थायी प्रवेश योग्य सूची

तैयार कर प्रवेश समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा समय पर प्रवेश हेतु निर्मित सिद्धांतों के अनुसार प्रवेश नियमन हेतु समिति कर्तव्यनिष्ठ रहेगी।

(vii) प्रवेश/प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता व स्तर उन्नत करने हेतु सुझाव देगी।

8.3 प्रवेश समिति का गठन कुलपति द्वारा किया जावेगा।

8.4 प्रवेश समन्वयक, कुलपति की अनुमति से विभिन्न विभाग/केन्द्र/संस्थानों से विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रवेश समिति में अधिकतम तीन सदस्य सहयोजित कर सकेंगे।

8.5 समिति के न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

9 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेशः

9.1 **परिचय :** भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के विभिन्न पाठयक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश हेतु अर्हता संबंधी प्रक्रिया के निर्धारण हेतु इन नियमों को बनाया गया है।

9.2 **कार्यालय :** अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन हेतु वि.वि. में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ होगा। यह प्रकोष्ठ ऐसे छात्रों के प्रवेश पर न केवल नियंत्रण रखेगा वरन उन्हें प्रवेश सुरक्षित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं सलाह भी देगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों संबंधित समस्त पत्र–व्यवहार विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार को संबोधित होने चाहिए।

9.3 **अंतर्राष्ट्रीय छात्र :** इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्र में निम्न सम्मिलित है :

1.विदेशी छात्र : छात्र जो विदेशी राष्ट्रों द्वारा जारी पासपोर्ट धारक हो जिनमें भारतीय मूल के ऐसे लोग भी सम्मिलित है जिन्होने .विदेशी नागरिकता अंगीकार कर ली हो, को अंतर्राष्ट्रीय छात्र माना जाता है।

2 अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई) : केवल ऐसे अनिवासी भारतीय

छात्र जिन्होने विदेशी राष्ट्रों के स्कूल/कालेजों में अध्ययन किया एवं अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अंतर्राष्ट्रीय छात्र की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अंतर्गत वे छात्र भी शामिल होंगे जो विदेशी राष्ट्रों में स्थित स्कूल/कालेजों (भारत में स्थित) में पढ़ रहे है यद्यपि ऐसे संस्थान भारत स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त हो परन्तु इस श्रेणी में वे स्कूल/कालेजों शामिल नहीं किए जाएंगे जो विदेश स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडलों या विश्वविद्यालय से संबंद्ध हो।

ऐसे छात्र जिन्होने अर्हकारी परीक्षा विदेशी राष्ट्र में स्थित शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से बाह्य छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हो तथा अनिवासी भारतीयों के आश्रित है तथा जो भारत में अध्ययनरत है को अंतर्राष्ट्रीय छात्र नहीं माना जावेगा।

आव्रजन विभाग अथवा विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों द्वारा देश में प्रवेश करने पर उनकी प्रवेश स्तरीय स्थिति को आव्रजन विभाग या विदेश मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित रखा जावेगा।

9.4 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश हेतु आवश्यक अभिलेख :

(i) वीज़ा : समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से इस संस्थान को पृष्ठांकित वीज़ा पूर्णकालिक पाठयक्रम करने हेतु आवश्यक होगा। कोई अन्य पृष्ठांकन मान्य नही होगा। शोध कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छक छात्रों को इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीज़ा आवश्यक होगा जो पाठयक्रम की निर्धारित अवधि के लिए वैध लेना चाहिए। अनिवासी भारतीय के लिए वीज़ा वांछित नहीं है। ऐसे छात्र जो वि.वि. में पूर्णकालिक पाठयक्रम कर रहे है उन्हें अंशकालिक प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु उन्हें पृथक वीज़ा लेना आवश्यक नहीं है बशर्ते उनका वर्तमान वीज़ा पाठयक्रम की सम्पूर्ण अवधि में वैध हो।

(ii) अनापत्ति प्रमाण पत्र : व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को

अब अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी (भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 33–17/2002–यू. 4 दिनांक 20 अगस्त 2004 के अनुसार)। ऐसे समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो शोध/पी.एच.डी. कार्य के इच्छुक है या एम.फिल. करने हेतु इच्छुक है उनहें गृह या बाह्य मामलों के मंत्रालय से सुरक्षा निर्वाहन तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास भारत सरकार से इस संस्था को पृष्ठांकित शोध वीजा पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9.5 पात्रता योग्यता :

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवश्यक आव्रजन का अवलोकन प्रवेश विवरणिका अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से किया जा सकता है। केवल ऐसे छात्र जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू) द्वारा यथा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा मंडलों से अर्हित है प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जब आवश्यक समझा जावे, भारतीय विश्वविद्यालय संघ ऐसी समकक्षता की जांच कर सकेगा।

9.6 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश :

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ के माध्यम से होगा। प्रवेश सामान्यतः पाठ्यक्रम के आरंभ में दिया जावेगा तथापि पात्र छात्रों को अन्य संस्थानों से स्थानांतरण की दशा में सत्र के मध्य में भी प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे छात्रों का प्रवेश दो चरणों में हो सकेगा। प्रथम–प्रवेश इच्छुक छात्र आवेदन पत्र, प्रवेश विवरणिका प्राप्त कर, वेबसाइट से आवश्यक आव्रजन, उपलब्ध पाठ्यक्रम तथा प्रवेश प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त करेगा। तत्पश्चात् अस्थायी प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन पत्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करेगा। प्रकोष्ठ द्वारा अर्हता का परीक्षण कर अस्थायी प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। यह वीज़ा प्राप्त करने व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होगा।

अस्थायी प्रवेश पश्चात् छात्र को वीज़ा एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण

करना होगा तत्पश्चात् वह अंतिम प्रवेश हेतु जहां पाठ्यक्रम करना चाहता है वहां प्रतिवेदन देगा। अलगे चरण में वह संबंधित संस्थान का प्रवेश आवेदन पूर्ण कर आवश्यक शुल्क चुकाएगा तत्पश्चात् उसे चिकित्सा परीक्षण करानी होगी। ऐसे छात्रों के विश्वविद्यालय अथवा अन्य एजेंसी से अंग्रेजी दक्षता परीक्षा में प्रविष्ट होकर प्राप्तांक विवरण विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा। इन औपचारिकताओं के पश्चात् उसे अंतिम प्रवेश दिया जावेगा।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शुल्क भुगतान अमेरिकन डालर में करना होगा परन्तु विशेष प्रकरणों में समकक्ष भारतीय रूपयों में भी भुगतान की अनुमति होगी। अंतिम प्रवेश हेतु सामान्यतः जो शुल्क देय होंगे उनमें प्रपत्र शुल्क (प्रवेश विवरणिका की लागत में सम्मिलित यदि क्रय किया जाता है) पात्रता शुल्क प्रशासनिक शुल्क (सीधे प्रवेश एवं स्थानांतरण प्रकरणों में भिन्न–भिन्न हो सकते है)।

9.7 अंग्रेजी में अनुपालन पाठ्यक्रम :

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

अंग्रेजी में उपचारात्मक पाठ्यक्रम के छात्र जिन्हें अंग्रेजी में प्रवीणता या आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा देना आवश्यक है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जैसा लागू हो का भुगतान करना होगा। अंतिम प्रवेश के समय ऐसा भुगतान करना होगा। शुल्क समय समय पर पृथक–पृथक पाठ्यक्रमों हेतु भिन्न होगी। विद्यार्थी द्वारा अस्थायी प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रमों में अंतिम प्रवेश न लिए जाने पर उसे लिया गया प्रशासनिक शुल्क का वापसी परीक्षण शुल्क, बैंक कमीशन व पोस्टेज यदि हो की कटौती पश्चात कर दिया जावेगा।

ऐसा अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिसे भारत से बाहर स्थित किसी वैधानिक मंडल/ विश्वविद्यालय से आव्रजन परीक्षा उत्तीर्ण करने पश्चात प्रवेश दिया गया है को विश्वविद्यालय / संस्थान या अन्य संगठन द्वारा

आयोजित अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा परंतु उसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिन्हें आव्रजन परीक्षा, अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण की है उन्हें अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा से छूट होगी।

ऐसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो अथवा जो ऐसी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुए उन्हें अंग्रेजी भाषा के उपचारात्मक पाठ्यक्रम जो "Remedial English Course for International Students(RECIS)" अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा आयोजित आधार पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। छात्रों को यह पाठ्यक्रम सफल होने तक जारी रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करना होगा।

9.8 स्थानान्तरण एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन :

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा प्रवेशित पाठ्यक्रम को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से भारत स्थित एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण की भी अनुमति नहीं होगी। अपवाद प्रकरणों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ द्वारा इसकी अनुमति पाठ्यक्रम की उपलब्धता, पात्रता नियम तथा वि.वि./संस्थान के समक्ष अधिकारी की अनुमति के आधार पर दी जा सकती है।

9.9 भारत सरकार के स्कॉलर :

अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिन्हें आई.सी.सी.आर. द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है, को प्रवेश देते समय छात्रावास सुविधा की प्राथमिकता होगी। विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को भी जो प्रशिक्षण, शोध या अध्ययन कर रहे है, इसी तरह से प्राथमिकता होगी।

9.10 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया

चरण 1. ऐसे छात्र को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के निमित्त वि.वि./संस्थान की प्रवेश विवरणिका का क्रय/वि.वि. वेबसाइट से डाउनलोड (पात्रता प्रपत्र सहित) करना होगा।

चरण 2. पात्रता प्रपत्र भरकर प्रपत्र में दर्शित प्रमाण पत्रों की प्रतियों व

निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा। यह कार्य समय रहते सम्पन्न करें ताकि छात्र को प्रवेश तिथि से पूर्व वीज़ा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके।

चरण 3. वीज़ा प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ से अनंतिम प्रवेश प्राप्ति संबंधी पत्र प्राप्त करें।

चरण 4. यह पत्र संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास में प्रस्तुत कर वि.वि./संस्थान को पृष्ठाकिंत वीज़ा प्राप्त करें। अनिवासी भारतीयों से वीज़ा वांछित नहीं है।

चरण 5. प्रवेश हेतु संस्थान में उपस्थिति दें। स्थायी प्रवेश आवेदन प्रपत्र भरकर निम्न मूल दस्तावेज उनकी छायाप्रति सहित प्रस्तुत करें :

अ. आव्रजन परीक्षा उत्तीर्ण करने विषयक उपाधि/प्रमाण पत्र

ब. आव्रजन परीक्षा की अंक सूची

स. मूल छात्र वीज़ा

द. नोटरी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट की छायाप्रति।

टीप : छात्र को उसके मूल प्रमाण पत्र आवश्यक पृष्ठांकन के तत्काल पश्चात वापस कर दिए जावेंगे।

चरण 6. चिकित्सा जॉच परीक्षा पश्चात स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें। शासकीय नियमों के अनुसार समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का जो भारत में छात्र वीज़ा द्वारा प्रवेश करते है को एच.आई. व्ही./कोविड–19 परीक्षण कराना होगा ऐसा परीक्षण पाजीटिव होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। ऐसे सभी छात्रों को चिकित्सा शुल्क के रूप में यू.एस. डालर 50 भुगतान करने होंगे। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय छात्र चिकित्सा बीमा कवर के लिए भी भुगतान करना होगा।

चरण 7. अंग्रेजी में प्रवीणता जांच परीक्षा में प्रविष्ट हो जो कि विश्वविद्यालय/संस्थान की प्रवेश औपचारिकता में वांछित

है। यह केवल तब ही आवश्यक होगा जबकि आव्रजन परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण न की गई हो।

चरण 8. अंतर्राष्ट्रीय छात्र का प्रवेश तब ही अंतिम रूप से होगा जब छात्र द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया हो तथा उसके द्वारा सभी वांछित शुल्क जमा करा दिए गए हो एवं उसके सभी प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन कर लिया गया हो।

चरण 9. भारत में आगमन से 48 घंटो के भीतर स्थानीय पुलिस को विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय (एफ.आर.आर.ओ) में पंजीकृत करावें।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो किसी भी संस्थान में कोई भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे है उन्हें वि.वि. में किसी भी अंशकालीन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है यदि वे वैध वीज़ा, पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए धारित करते हों। अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें वांछित शुल्क चुकाना होगा। संस्था ऐसे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ से सलाह कर सीधे प्रवेश दे सकती है यदि वे आव्रजन रखते हों।

9.11 अनुशासन :

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारतीय छात्रों की ही तरह जो समान पाठ्यक्रम कर रहे है। उन्हें भारती विश्वविद्यालय के नियमों एवं आचार संहिता का पालन करना बंधनकारी होगा।

9.12 परीक्षा एवं डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों का प्रदाय :

परीक्षा, परीक्षा शुल्क भुगतान, अंकसूची का जारी करना व उत्तीर्णता प्रमाण पत्र का जारी करना तथा उपाधि, डिप्लोमा व प्रमाण पत्रों के जारी करने की प्रक्रिया वही रहेगी जो समान पाठ्यक्रम करने वाले भारतीय छात्रों के लिए अपनाई जाती है।

9.13 निष्कर्ष :

उक्त नियम प्रवेश के संबंध में प्रभावशील होंगे।

नियमों के क्रियान्वयन में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ का मत लिया जावेगा जो कि अंतिम होगा। शुल्क संरचना पुनरीक्षण के अधीन होगी तथा छात्रों को पुनरीक्षित शुल्क जब कभी प्रभावशील हो देना होगा। ऐसे बिन्दु जो विशेष रूप से समाहित नहीं है के संबंध में वि.वि./संस्थान का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी विवाद का समाधान कुलपति द्वारा इस हेतु नियुक्त समिति द्वारा किया जावेगा। निर्धारित समय सीमा में समाधान न हो पाने पर न्यायालय की शरण की आवश्यकता होने पर वह केवल उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

10 **अध्यापन का माध्यम :**

भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में अध्यापन का माध्यम ऐसे विषय जो विशिष्ट भाषा से संबंधित हैं को छोड़कर हिन्दी तथा अंग्रेजी होगा।

अध्यादेश–2

विश्वविद्यालय परीक्षायें

(धारा 28 (1) (ई))

अध्याय–1

1 परिभाषाएं –

1.1 **आकादमिक कार्यक्रम** से अभिप्राय स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा, एम.फिल., पी.एच.डी. डिग्री एवं प्रमाण पत्र के लिए अग्रेषित पाठ्यक्रम / या अन्य कोई विषय से है। एक शैक्षणिक वर्ष से अभिप्राय सामान्यतः शिक्षण एवं संबंधित परीक्षा योजना में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु समर्पित 12 माह की कालावधि है।

1.2 **सेमेस्टर प्रणाली** सेमेस्टर प्रणाली से अभिप्राय है वह शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष 6 माह की कालावधि के दो सेमेस्टर में विभाजित होगी। पाठ्यक्रम से तात्पर्य आकादमिक कार्यक्रम के उस भाग से है जिसका पृथक कोड नंबर एवं जिस पर विशिष्ट क्रेडिट / अंक नियत होते है।

1.3 **बाह्य परीक्षक** बाह्य परीक्षक से अभिप्राय उस परीक्षक से है जो विश्वविद्यालय अथवा उसके संस्थान / केन्द्र / विभागों में कार्यरत नहीं है।

1.4 **आंतरिक परीक्षक से तात्पर्य** – उस परीक्षक से है जो विश्वविद्यालय या उसके संस्थान/ केन्द्र / विभाग में कार्यरत है।

(अ) सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की स्थिति में परीक्षक, प्रश्न पत्र सेटर सहित जो विश्वविद्यालय, विभागों/अध्ययन केन्द्रों या संस्थानों में शिक्षक हो।

(ब) प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की स्थिति में परीक्षक जो विश्वविद्यालय में, विभागों में, अध्ययन केन्द्र में या संस्थान में शिक्षक है जिसके अभ्यार्थियों की परीक्षा, परीक्षा केन्द्र में ली जा रही है।

1.5 **सह परीक्षक** से तात्पर्य उस परीक्षक से है जो किसी लिखित प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र रचियता के अतिरिक्त नियुक्त है।

छात्र से तात्पर्य– ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विभागों एवं उससे संबंद्ध महाविद्यालय, संस्थान अथवा सहयोगी संस्थान / केन्द्र में किसी भी अकादमिक कार्यक्रम जिसके लिए अध्यादेश प्रभावशील है में प्रवेशित हो।

1.6 **नियमित अभ्यर्थी** –नियमित अभ्यर्थी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में अध्ययन के किसी नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्र में प्रवेश प्राप्त हो तथा तत्संबंधी परीक्षा में प्रवेश का इच्छुक हो।

1.7 **भूतपूर्व छात्र** – भूतपूर्व छात्र से अभिप्राय ऐसे अभ्यर्थी से है जिसके द्वारा नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश लिया गया था परंतु वह परीक्षा में असफल रहा अथवा वह परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् भी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। अतः वह भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग की उक्त परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने का इच्छुक है।

1.8 **एटीकेटी अभ्यर्थी** – से अभिप्राय उस अभ्यर्थी से है जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न पत्रों की संख्या के 35 प्रतिशत से अनाधिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण घोषित हुआ है तथा उसे अगले सेमेस्टर में उन्नत कर दिया गया है एवं वह अनुत्तीर्ण सेमेस्टर परीक्षा में पुनः प्रविष्ट हो रहा है जो आगामी नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ आयोजित है।

1.9 **नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम** नियमित अध्ययन पाठ्यकम से तात्पर्य है, नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्रों में प्रत्येक विषय में संचालित है जिसे परीक्षार्थी परीक्षा हेतु आफर करना चाहता है।

1.10 **छात्र को उपस्थिति संबंधी निम्न मापदंड को पूर्ण करना होगा :**

एक अभ्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने की तभी पात्रता होगी जिसकी 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी।

1.11 **अग्रेषण अधिकारी** – से तात्पर्य विभाग/संस्था/ केन्द्र के प्रमुख से है जहां अभ्यर्थी नियमित छात्र के रूप में नियमित पाठ्यक्रम कर रहा है अथवा नियमित छात्र था परंतु अब परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्टि होना चाहता है।

1.12 **सत्यापित** से तात्पर्य अग्रेषण अधिकारी द्वारा सत्यापन से है।

1.13 **विश्वविद्यालय** से तात्पर्य भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग से है।

अध्याय–2

2 विश्वविद्यालय परीक्षाएं –

2.1 विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित उन समस्त अकादमिक कार्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर सकता है जो स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अग्रेषित है जो कि शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के अनुसार अध्यापन, परीक्षा व पाठ्यक्रम में निर्धारित योजना के अनुसार है।

2.2 विश्वविद्यालय परीक्षाएं उन समस्त नियमित व भूतपूर्व छात्रों के लिए उन निर्धारित कार्यक्रम/विषयों में आयोजित होंगी बशर्ते कि शैक्षणिक परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तो की पूर्ति होती हो।

2.3 ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय से निष्कासित अथवा निरसित किया गया है या विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है, को दण्ड के प्रचलित रहने की अवधि में किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

और यह भी कि विद्यार्थी को कम उपस्थिति के कारण अथवा विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यादेश में यथा उपबंधित अन्य कारण से सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने से वर्जित किया जा सकेगा।

3 कार्यक्रम विषय वस्तु एवं अवधि

3.1 स्नातक उपाधि की अवधि 3 वर्ष (6 सेमेस्टर)/स्नातकोत्तर उपाधि की अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)/एम.फिल उपाधि की अवधि 1 वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में यथा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं/ या अन्य विषय वस्तु समाविष्ट होगें। प्रत्येक पाठ्यक्रम में निर्धारित क्रेडिट/अंक के अंतर्गत समय–समय पर अधिमान्यता दी जायेगी।

3.2 किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु आवश्यक न्यूनतम अवधि वह होगी जो शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम हेतु सिलेबस में यथा

निर्धारित कार्यक्रम अवधि होगी।

3.3 कार्यक्रम जिसके लिए निर्धारित कार्यक्रम अवधि सेमेस्टर में है, को पूरा करने के लिए न्यूनतम अनुज्ञेय अवधि (n+4) के लिए होगी। जहां "n" सेमेस्टर की कुल संख्या है। कार्यक्रम की सभी अपेक्षाएं (n+4) सेमेस्टर में पूर्ण करना होगा।

4 सेमेस्टर –

4.1 शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होगा, प्रत्येक सेमेस्टर की कार्यावधि लगभग 23 सप्ताह होगी। विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक कैलेण्डर प्रति वर्ष एकादमिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अधिसूचित कर दिया जायेगा।

4.2 शिक्षण कार्य के लिए समर्पित सेमेस्टर का शैक्षणिक ब्यौरा निम्नानुसार है:

(अ) शिक्षण एवं/अथवा प्रयोगशाला कार्य – 19 सप्ताह (जिसमें क्लास टेस्ट सम्मिलित है।)

(ब) परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश – 01 सप्ताह

(स) सेमेस्टर अंत परीक्षा जिसमें प्रायोगिक /प्रयोगशाला – 03 सप्ताह कार्य शामिल है।

5 आंतरिक अंकों की प्रस्तुति –

परीक्षा के नियंत्रक को असाइनमेंट, क्लास टेस्ट का परिणाम एवं उपस्थिति का विवरण सेमेस्टरांत परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा। आंतरिक अंक छात्र द्वारा क्लास टेस्ट असाइनमेंट एवं उपस्थिति के संबंध में निर्धारित अधिमान्यता पर दिए जाएंगे।

6 विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश –

6.1 विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित परीक्षा आवेदन फार्म भरना होगा जो कि परीक्षा नियंत्रक को संकायाध्यक्ष /विभाग प्रमुख के द्वारा विधिवत अग्रेषित होकर प्रस्तुत होने चाहिए।

6.2 नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय संकायाध्यक्ष/संस्था प्रमुख अथवा विश्वविद्यालय के संबंधित स्कूल प्रमुख

को स्पष्ट करना होगा :

(i) यह कि आवेदक ने सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उसे संतुष्ट कर दिया है कि वह आगामी परीक्षा हेतु आर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण है।

(ii) यह कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित कालावधि में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम में अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दी गई तथा वह आवश्यक उपस्थिति की प्रतिपूर्ति करता है।

(iii) यह कि उसका आचरण संतोषजनक है।

(iv) उप वाक्य 6.2 (ii) के आधार पर प्रमाण पत्र अंतिम होगा तथा उसे परीक्षा प्रारंभ से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है यदि आवेदक व्याख्यान कक्षाओं के निर्धारित प्रतिशत , ट्यूटोरियल, प्रायोगिक, एनसीसी परेड आदि में उपस्थित रहने में विफल रहता है।

6.3 अध्यादेशों में प्रावधान के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु नियमित एवं भूतपूर्व छात्रों के आवेदन निर्धारित परीक्षा शुल्क भुगतान की पावती के साथ परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में निर्धारित तिथि को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

6.4 परीक्षा नियंत्रक /कुलसचिव द्वारा ऐसे छात्रों को जिन्होनें समय पर परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किया है उन्हें निश्चित तिथि से सात दिन पश्चात् तक अपने परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं विलंब शुल्क के साथ प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते है। निर्धारित विलंब शुल्क अवधि के भी बीत जाने के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में परीक्षा नियत्रंक को यह विवेकाधिकार होगा कि वह ऐसे आवेदन पत्र को स्वीकार करें अथवा अस्वीकृत कर दें। स्वीकृति की दशा में विलंब शुल्क का निर्धारण भी वहीं करेगें।

6.5 परीक्षा नियंत्रक /कुलसचिव कार्यालय में एटीकेटी परीक्षा आवेदन की प्रस्तुति परिणामों की घोषणा से 30 दिवस के भीतर संस्थान जहां से छात्र ने नियमित पाठ्यक्रम किया है के अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से ऐसे

आवेदन पत्र पहुंच जाने चाहिए।

6.6 द्वितीय एटीकेटी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र परीक्षा नियंत्रक नियमित सेमेस्टर अंत परीक्षा प्रारंभ से 30 दिवस पूर्व संबंधित संकायाध्यक्ष/संस्थान प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये। परीक्षा आवेदन पत्र में निम्न स्पष्ट होना चाहिए

(i) विषय अथवा विषयों जिनमें आवेदक परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है।

(ii) आवेदन पत्र के साथ आवेदक को पूर्व में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने विषयक प्रमाण संलग्न करना होगा।

(iii) भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा में उन्हीं प्रश्नपत्रों पर प्रविष्ट होना होगा जिनमें वह नियमित छात्र के रूप में प्रविष्ट हुआ था परंतु परीक्षा योजना में परिवर्तन के कारण उसके द्वारा पूर्व में लिये गये विषय / प्रश्न पत्रों का यदि विकल्प अब समाप्त हो गया हो तो उसे ऐसे प्रश्नपत्रों के स्थान पर भिन्न विषय/प्रश्नपत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा में विभिन्न विषयों में अध्ययन के निर्धारित महत्व की पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक भूतपूर्व छात्र को उसी परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा जिस केन्द्र से विभाग/संस्थान / केन्द्र संस्थान के नियमित छात्र भी प्रविष्ट हो रहे है। परंतु परीक्षा नियंत्रक पर्याप्त कारणों से किसी अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर सकते है।

6.7 किसी भी नियमित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जब तक:

(i) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्र में अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार उसका नामांकन नियमित विद्यार्थी के रूप में न हो गया हो।

(ii) वह उस परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु न्यूनतम अकादमिक अर्हता रखता हो जिसमें वह प्रविष्ट होना चाहता है तथा उसके द्वारा उस परीक्षा हेतु नियमित पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया

गया है।

(iii) वह इस अध्यादेश तथा अन्य सभी संबंधित अध्यादेशों के प्रावधानों को संतुष्ट करता है जो उस परीक्षा में जिसमें वह प्रवेश चाहता है के लिए आवश्यक है।

6.8 जहां अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी अध्यादेशों के अनुसार परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय का प्रस्ताव करता है वहां उसे ऐसे विषय में भी समान रूप से न्यूनतम उपस्थिति की शर्त संतुष्ट करना होगा जो उस पर लागू होती है।

6.9 नियमित पाठ्यक्रम के संबंध में न्यूनतम उपस्थिति की गणना में:

(i) शिक्षा सत्र के दौरान दिये गये व्याख्यानों एवं प्रायोगिक/क्लीनिकल/सत्रीय यदि हो में उसकी उपस्थिति की गणना की जायेगी।

(ii) नियमित परीक्षार्थी की उच्च कक्षा में उपस्थिति की गणना उसकी निम्न कक्षा में परीक्षा की पात्रता के निर्धारण हेतु प्रतिशत के रूप में की जायेगी। जिस कक्षा में द्वितीय एटीकेटी/पूरक परीक्षा में असफल रहने के कारण उसे अवनत किया गया।

6.10 अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक की वह परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या परीक्षक के द्वारा मांगे जाने पर प्रवेश पत्र प्रस्तुत न करें या परीक्षा संबंधित अन्य अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर देता हो कि अधीक्षक या वीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

6.11 परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी अधीक्षक के अनुशासात्मक नियंत्रण में रहेगा तथा उसके निर्देशों का विनम्रतापूर्वक पालन करें। परीक्षार्थी द्वारा अध्यादेशों की निर्देशों अवज्ञा या अनुशासनहीनता युक्त व्यवहार या परीक्षा अधीक्षक अथवा किसी भी वीक्षक की उपेक्षा प्रदर्शित करने की स्थिति में उसे उस संबंधित दिवस की परीक्षा से निष्कासित किया जायेगा और यदि फिर भी वह दुर्व्यवहार जारी रखता है तो उसे अधीक्षक द्वारा शेष परीक्षाओं से भी

वंचित किया जा सकेगा। अधीक्षक ऐसी स्थिति में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव को उसी दिन भेजेगा।

7 उपस्थिति :

7.1 एक अभ्यर्थी द्वारा नियमित विद्यार्थी के रूप में नियमित पाठ्यक्रम किया जाना तब माना जायेगा जब उसके द्वारा प्रत्येक विषय में कम से कम 60 % व्याख्यानों में अपनी उपस्थिति दी गई हो तथा कुल मिलाकर सभी व्याख्यानों, ट्यूटोरियल एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 % उपस्थिति दी गई हो। ऐसी स्थिति में ही उसे परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य माना जायेगा। अन्यथा उपबंधित को छोड़कर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा विशेष परिस्थितियों में ऐसे छात्र की उपस्थिति में कमी के संबंध में छूट दी जाकर परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु अनुमति दी जा सकती है।

7.2 किसी नियमित विद्यार्थी को कुलपति द्वारा उपस्थिति में अधिकतम 15 % की सीमा तक छूट दी जा सकती है यदि उपस्थिति में कमी छात्र की बीमारी, N.C.C./N.S.S. शिविर की परेड में भाग लेने अथवा अंतर विश्वविद्यायलयीन या अंतरराज्यीय विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में टीम के सदस्य के रूप में छात्र की भागीदारी रही अथवा निर्धारित शैक्षणिक यात्रा/फील्ड यात्रा/फील्ड कार्य जैसे उचित कारणों से उपस्थिति में ऐसी छूट दी जा सकती है बशर्ते कि तत्संबंधी अभिलेख प्रभारी शिक्षक के हस्ताक्षर से विभाग प्रमुख को ऐसे उत्सव/गतिविधि के समापन के दो सप्ताह के भीतर भेज दिये जावें ।

7.3 यह भी प्रावधानित है कि बीमारी, चिकित्सकीय अयोग्यता की स्थिति में उपस्थिति प्रतिशत में छूट का आवेदन पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी/लोक चिकित्सालय द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा भारती विश्वविद्यालय अथवा उसके संस्थान/विभाग/अध्ययन केन्द्र के पदीय चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा छात्र का ऐसा आवेदन समर्थित हो। ऐसा आवेदन पत्र चिकित्सा/चिकित्सालय में भर्ती होने की कालावधि

के मध्य अथवा स्वास्थ्य लाभ होने के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

8 मूल्यांकन एवं परीक्षाः

8.1 पाठ्यक्रम में दिया गया सम्पूर्ण अधिभार तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना का निर्धारण पाठ्यक्रम के निर्धारित क्रेडिट/अंकों के अध्याधीन रहेगा।

8.2 जब तक शिक्षण एवं परीक्षा तथा पाठ्यचर्या की योजना में अन्यथा कुछ विर्दिष्ट न हो तब तक पाठ्यकम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन में दो भाग होंगेः

(i) सेमेस्टर परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन ।

(ii) पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन ।

8.3 सतत मूल्यांकन

अभिभाजित अंक

स्नातक उपाधि/स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

पाठ्यक्रम प्रभाग

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन निम्न स्तरों पर आधारित होगा	**स्नातक स्तरीय डिप्लोमा**	**स्नातकोत्तर स्तरीय डिप्लोमा**
*तीन कक्षा स्तरीय जांच परीक्षा	आबंटित अंक आंतरिक जांच का 70%	आबंटित अंक आंतरिक जांच का 80%
असाइनमेंट/समूह चर्चा/ आबंटित अंक मौखिकी/अतिरिक्त जांच आंतरिक जांच परीक्षा का परीक्षा/क्विज आदि	आंबटित अंक आंतरिक जांच परीक्षा का 30%	आबंटित अंक आंतरिक जांच परीक्षा का 20%

शैक्षणिक सत्र में निर्धारित तीन कक्षा स्तरीय जांच परीक्षायें साधारणतः विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार अध्यापन प्रारंभ के पश्चात चौथे सप्ताह, आठवे सप्ताह एवं बारहवे सप्ताह में आयोजित होंगे।

प्रायोगिक/प्रयोगशाला पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा छात्रों का सतत मूल्यांकन करने हेतु छात्रों का प्रयोगशाला में, उनकी नियमित उपस्थिति एवं प्रायोगिक/कुल आंतरिक परीक्षा अंक अभ्यास/असाइनमेंट/क्विज आदि पर आधारित होगीं। ऐसे मूल्यांकन लगभग तीन समान अंतराल पर किए जायेंगे।

8.4 असाइनमेंट :

(i) छात्रों को असाइनमेंट्स निर्गत करने तथा छात्रों से असाइनमेंट्स प्रस्तुत करवाने एवं उनके मूल्यांकन का दायित्व संबधित संकायध्यक्षों अथवा विभागों का होगा। वह असाइनमेंट तैयार करने एवं मूल्यांकन के कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे।

(ii) सम्पूर्ण कक्षा को समूहों में बांटा जायेगा।

(iii) प्रत्येक समूह को पृथक असाइनमेंट दिया जायेगा जिसमें अन्य समूह को दिये गये असाइनमेंट्स से न्यूनतम समानता हो सकती है।

(iv) छात्रों को प्रति सेमेस्टर, प्रति विषय न्यूनतम दो असाइनमेंट दिए जायेंगे।

(v) प्रत्येक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के पश्चात् अपने द्वारा पूर्ण किये गये असाइनमेंट का बचाव प्रस्तुति/मौखिकी के माध्यम से करने हेतु अवसर दिया जायेगा।

(vi) असाइनमेंट्स विभाग व शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित के अनुसार मानक प्रारूप में तैयार किए जायेंगे।

(vii) छात्रों को उन्हें सौंपा गया असाइनमेंट जारी करने की तिथि से

दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(viii) देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत असाइनमेंट का मूल्यांकन निर्धारित अंकों के 50% से अधिक पर नहीं किया जायेगा।

8.5 शोध लेख/थिसिस–

जहां कहीं पाठ्यक्रम में निर्धारित है स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु शोध लेख/थिसिस का मूल्यांकन किया जायेगा तथा एक कमेटी द्वारा जिसमें आंतरिक परीक्षक जो सामान्यतः पर्यवेक्षक होगा तथा एक या एक से अधिक बाह्य परीक्षक सम्मिलित होंगे द्वारा अंक दिए जायेंगे। आंतरिक परीक्षक द्वारा कुल अंक के 40 % में से अंक दिए जायेंगे जबकि बाह्य परीक्षक द्वारा कुल निर्धारित अंक के 60 % में से अंक दिए जायेंगे। इस हेतु कुलपति द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति इस अध्यादेश के उपबंध 10 (D) (3) के अनुसार तीन या अधिक परीक्षकों के नामों के पैनल में से की जायेगी।

यदि विशिष्ट प्रकरण में आवश्यक समझा जावें तो शिक्षकों के द्वारा किये गये सतत मूल्यांकन के अभिलेख को अपने समक्ष बुलाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा वह आवश्यकतानुसार शिक्षकों के द्वारा किए गए मूल्यांकन को मॉडरेट कर सकेगा।

8.6 सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन–

मूल्यांकन के विभिन्न प्रभागों में अधिभार का वितरण निम्नानुसार होगाः

क्रमांक	विवरण	स्नातक उपाधि/ स्नातक स्तर डिप्लोमा	स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर स्तर डिप्लोमा
A.	सैद्धांतिक पाठ्यक्रम		
	(1) सेमेस्टरांत परीक्षा	70 %	70 %
	(2) शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन	30 %	30 %

B.	प्रायोगिक / प्रयोगशाला पाठ्यक्रम (1) सेमेस्टरांत परीक्षा (2) शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन	 70 % 30 %	 70 % 30%
C.	(1) बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन (2) आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	70 % 30 %	70 % 30 %

D. अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्य किसी प्रभाग जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है के लिए क्रेडिट / अंक प्रभार अध्यनमण्डल द्वारा तैयार किया जाकर शासी निकाय के अनुमोदन के अनुसार लागू होगा।

9 श्रुतिलेखक की नियुक्ति / लेखक :

9.1 परीक्षार्थी के दृष्टिहीन होने अथवा अन्य प्रकार से असमर्थ होने की स्थिति में श्रुतिलेखक अनुज्ञात किए जाने संबंधी नियम निम्न हैः

(i) "दृष्टिहीन अभ्यर्थी "एवं

(ii) ऐसे परीक्षार्थी जो दुर्घटना अथवा किसी रोग के कारण वर्तमान में अपने हाथ से परीक्षा में लिख पाने में असमर्थ है। .

उपरोक्त 9.1 स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी को भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतिलेखक की अनुमति होगी।

9.2 परीक्षा नियंत्रक ऐसे परीक्षार्थी से परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व प्राप्त आवेदन के आधार पर श्रुति लेखक की नियुक्ति की व्यवस्था कर संबंधित परीक्षा अधीक्षक को सूचित करेगा।

9.3 नियुक्त किया जाने वाला श्रुतिलेखक संबंधित परीक्षार्थी कि शैक्षणिक अर्हता से निम्न शैक्षणिक अर्हता का होना चाहिए।

9.4 परीक्षा अधीक्षक किसी परीक्षार्थी को श्रुतिलेखक की अनुमति प्राप्त हो जाने पर संबंधित असमर्थ परीक्षार्थी को परीक्षा दिवसों में पृथक कक्ष में बैठाने एवं परीक्षक नियंत्रक द्वारा वीक्षकों की दी गई सूची में से एक पृथक वीक्षक नियुक्त करेगा।

9.5 परीक्षक नियंत्रक 3 घण्टे की समयावधि की परीक्षा हेतु दृष्टिहीन परीक्षार्थी को एक घण्टे का अतिरिक्त समय उस परीक्षा हेतु देगा।

9.6 श्रुतिलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षक नियंत्रक द्वारा प्रचलित अनुमोदित दर पर किया जायेगा।

10 एटीकेटी उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदण्ड

10.1 एटीकेटी परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु निम्न पात्र होंगे :

(i) अभ्यर्थी जो किसी भी सेमेस्टर/वार्षिक अंत की परीक्षा में दो विषयों में अधिक में अनुत्तीर्ण हुये हो।

(ii) उपर्युक्त (अ) में उल्लेखित के अलावा जो अभ्यर्थी परीक्षा अध्यादेश के अनुसार एटीकेटी के पात्र माने गये है।

10.2 ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक भी सम्मिलित है की एटीकेटी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को केवल लिखित सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में परीक्षा में उपस्थित होना होगा यदि उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। इसी प्रकार से अभ्यर्थी को केवल प्रायोगिक परीक्षा में प्रविष्ट होना हौगा यदि वह मुख्य परीक्षा में केवल लिखित सैद्धांतिक परीक्षा में सफल हुआ है। ऐसा अभ्यर्थी जो सैद्धांतिक एक प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुआ है को परीक्षा के दोनों भागों में परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के संबंध में यह माना जायेगा की वे दो अलग–अलग प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हुए है।

10.3 जब तक इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित न हो एक परीक्षार्थी जो एटीकेटी परीक्षा हेतु पात्र घोषित है को एटीकेटी परीक्षार्थी के रूप में ठीक अगली सेमेस्टर परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा जिसके लिए वह

पात्र घोषित किया गया है। तत्पश्चात उसे अगली परीक्षा में सभी प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना होगा।

10.4 ऐसा अभ्यर्थी जो एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो यदि वह विषय या समूह जैसे भी स्थिति हो में इस परीक्षा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में सफल हो जाता हो तो उसे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। एटीकेटी सेमेस्टरांत परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम डिवीजन का निर्णय करने हेतु गणना में लिया जायेगा।

10.5 यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में एटीकेटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे द्वितीय एटीकेटी परीक्षा के रूप में एक ओर प्रयास का अवसर उपलब्ध होगा। जिसमें उसे उक्त प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करने के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की नियमित परीक्षा को भी उत्तीर्ण करना होगा चाहे जब कभी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा आयोजित की जाये।

10.6 यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय एटीकेटी प्रयास में भी उक्त प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह विश्वविद्यालय का छात्र नहीं रहेगा।

अध्याय–3

11 विश्वविद्यालय परीक्षाओं का संचालन–

11.1 समस्त विश्वविद्यायलयीन परीक्षाए परीक्षा नियंत्रक द्वारा संचालित की जायेंगी।

11.2 परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यायलयीन परीक्षा प्रारंभ होने के प्रथम दिन से कम से कम 10 दिवस पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित कर दी जायेगी।

11.3 सैद्धांतिक के साथ–साथ प्रायोगिक परीक्षाओं एवं शोध लेख/थीसिस/परियोजना प्रतिवेदन/प्रशिक्षण प्रतिवेदन से संबंधित समस्त परीक्षकों की नियुक्ति कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कर दी जायेगी।

11.4 यह भी प्रावधानित है कि कुलपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुये परीक्षकों के नामों का अनुमोदन करने का अधिकार परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को भारोपित कर सकते है। विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल शैक्षणिक परिषद से मन्त्रणा एवं परीक्षा नियंत्रक से चर्चा कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर सकते है। इसके

अतिरिक्त वह अधीक्षक तथा सहायक परीक्षा अधीक्षक (यदि हों) ऐसे प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए नियुक्त करेंगे तथा उनके मार्गदर्शन हेतु निर्देश जारी करेंगे। यह भी प्रावधानित है कि किसी केन्द्र में सहायक परीक्षा अधीक्षक की नियुक्ति हेतु परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या 300 से कम नहीं होनी चाहिए।

(i) प्रत्येक केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक प्रश्न पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उत्तर पुस्तिकाओं की अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे वें विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रयुक्त/अप्रयुक्त प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जानकारी संपूर्ण लेखा भेजते रहेंगे।

(ii) परीक्षा अधीक्षक परीक्षा में संलग्न वीक्षकों का पर्यवेक्षण करते

रहेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का परीक्षा संचालन कार्य में कड़ाई से पालन करेंगे।

11.5 विश्वविद्यालय यदि उचित समझे तो बिना कारण बतायें कोई भी परीक्षा केन्द्र अथवा परीक्षा समय में परिवर्तित कर सकता है।

11.6 विश्वविद्यालय परीक्षाओं के नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कड़ाई से संचालन सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर योग्य अंकेक्षकों के बोर्ड की नियुक्ति कर सकता है। योग्य अंकेक्षकों द्वारा परीक्षा संचालन में नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन में त्रुटि इंगित किये जाने पर विश्वविद्यालय के कुलपति परीक्षा के स्थगन अथवा निरस्ती जैसा भी आवश्यक हो संबंधित कदम उठा सकते है। परीक्षा की निरस्ती किसी केन्द्र के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक भी हो सकती है और यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो की गई ऐसी कार्यवाही की सूचना प्रबंध मण्डल को दी जानी चाहिये।

11.7 परीक्षा केन्द्र अधीक्षक का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि परीक्षा में बैठ रहा व्यक्ति वहीं व्यक्ति है जिसके द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरा गया था। ऐसा वे परीक्षा फार्म में चिपकाये गये अभ्यर्थी के फोटोग्राफ से मिलान कर करेंगे।

11.8 परीक्षा अधीक्षक जब कभी आवश्यक हो परीक्षा संचालन के संबंध में एक गोपनीय प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक को भेजेंगे जिसमें वीक्षकों का परीक्षा संबंधी निष्पादन एवं केन्द्र में परीक्षार्थियों के आचरण व्यवहार का उल्लेख होगा। उनके द्वारा एक दैनिक प्रतिवेदन भी भेजा जायेगा जिसमें प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रोल नंबर तथा परीक्षा संबंधित अन्य सूचनायें जो आवश्यक समझी जायें एवं अन्य कोई सूचना जो वे विश्वविद्यालय की जानकारी में लाना उचित समझते है का भी उल्लेख करेंगे। उनके द्वारा परीक्षा संबंधी लेखा–जोखा का संधारण एवं प्रस्तुति का कार्य भी किया जायेगा जिसमें परीक्षा हेतु प्राप्त अग्रिम राशि एवं परीक्षा

संचालन में किए गए व्यय का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रतिवेदन परीक्षक नियंत्रक को सौंपा जायेगा।

11.9 परीक्षा अधीक्षक को किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा से बाहर करने की शक्ति निम्न में से किसी भी आधार पर होगी–

(i) यह कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग किया गया हो।

(ii) यह कि परीक्षार्थी ने परीक्षा केन्द्र में कठोर बाधा एवं अशोभनीय आचरण किया है।

(iii) यह कि परीक्षार्थी द्वारा कठोर आक्रामक व्यवहार वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य सौंपे गए अन्य स्टाफ सदस्यों के प्रति प्रदर्शित किया है।

(iv) यदि आवश्यक समझा जाये तो परीक्षा अधीक्षक पुलिस सहायता भी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा भवन से निष्कासित किया गया हो तो इसकी तात्कालिक जानकारी परीक्षा नियंत्रक को दी जानी चाहिये।

11.10 जब तक अन्यथा निर्देशित न हो परीक्षा अधीक्षक द्वारा परीक्षा हेतु केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा। परंतु आवश्यकता पड़ने पर अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भी वीक्षकों को वीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है।

11.11 कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घण्टे की समायवधि के भीतर चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकेगा तथा किसी भी विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घण्टे पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11.12 ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा भवन अस्थायी रूप से छोड़ना चाहते है वे अनुमति दी जाने पर अधिकतम् 5 मिनट के लिए ऐसा कर सकेंगे।

11.13 यदि विश्वविद्यालय के कुलपति इस बात से संतुष्ट है कि परीक्षा संबंधी प्रश्न पत्र लीक हुआ है या अन्य कोई कठोर अनियमितता हुई

है तथा उनकी राय में आवश्यक हो तो वे सभी केन्द्रों की परीक्षायें निरस्त कर सकते है। परंतु उनके द्वारा उठाये गये ऐसे कदम की जानकारी संबंधित प्रतिवेदन प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11.14 विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल, शैक्षणिक परिषद से संपर्क कर परीक्षा संबंधी ऐसे सामान्य निर्देश व मार्गदर्शन केन्द्र अधीक्षकों गणकों व कोलेटर्स के लिए जारी कर सकता है जो उसकी राय में परीक्षा संबंधी कर्तव्य के उचित निर्वाह के लिए आवश्यक है।

11.15 यदि परीक्षा भवन में किसी परीक्षार्थी द्वारा अपने प्रश्नपत्र से संबंधित किसी प्रकार की बातचीत अन्य परीक्षार्थियों से की गई हो तो इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक को सीधे भेजी जानी चाहिये।

11.16 विश्वविद्यालय के विभागों में संचालित विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षकों के नाम संबंधित अध्ययन मण्डलों से अनुशंसा कर प्राप्त किये जाएंगे। जब आपात स्थिति में अध्ययन मण्डल की बैठक संभव न हो तब अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा परीक्षकों के नामों की अनुशंसा की जा सकती है तथा बैठक न होने संबंधी कारण का स्पष्ट विवरण परीक्षा नियंत्रक को भेजा जायेगा।

11.17 विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में संचालित अध्ययन पाठ्यक्रम में परीक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित कार्यक्रम समन्वय को/आकादमिक संस्थान प्रमुखों से प्राप्त की जायेगी।

11.18 आपात परिस्थितियों में जब परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वय/आकादमिक संस्था प्रमुख से प्राप्त न की जा सकती हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी अनुशंसा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित किसी शिक्षाविद् से प्राप्त की जा सकती है।

11.19 परीक्षक नियंत्रक को अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वयक/शैक्षणिक

संस्था प्रमुख या किसी अधिकृत शिक्षाविदों से प्राप्त पैनल में एक या अधिक परीक्षकों के नाम ऐसा पैनल कुलपति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व जोड़े जाने का अधिकार होगा।

11.20 प्रश्नपत्र रचयिताओं से परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात मॉडेटरर्स के द्वारा माडरेट किया जायेगा जिन्हें परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के अनुमोदन से विषयवार नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम तीन प्रश्नपत्र मॉडरेट होने के पश्चात् प्रश्नपत्र बैंक में उपलब्ध रहें।

11.21 परीक्षा नियंत्रक द्वारा जो अनुमोदित परीक्षक पैनल में से प्रश्न पत्र रचना हेतु परीक्षक नियुक्त होंगे जो प्रश्न पत्र रचना करेंगे प्रश्न पत्र रचना हेतु विगत वर्ष का प्रश्न पत्र जहां कहीं लागू हो प्रश्न पत्र के प्रारूप संबंधी मार्गदर्शन हेतु संदर्भ किया जाना चाहिए यदि, प्रश्नपत्र का पैटर्न शैक्षणिक परिषद द्वारा परिवर्तित न किया गया हो। परीक्षकों को प्रश्न पत्र रचना सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में से करनी होगी।

11.22 परीक्षा भवन में किसी भी परीक्षार्थी द्वारा अथवा उसकी और से उसे कोई अधिमान्य उपचार उपलब्ध करने हेतु प्रयास किया गया है तो वस्तु स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक को भेजा जायेगा जो आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु उसे कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

11.23 परीक्षा समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित को छोड़कर परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं उनके प्राप्त अंकों के पर्ण एवं प्रतिपर्ण को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 6 माह पश्चात नष्ट कर दिया जायेगा परंतु परीक्षार्थियों के तालिकाबद्ध परिणामों को सुरक्षित रखा जायेगा। यहां यह भी प्रावधानित है कि पुर्नमूल्यांकन में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुर्नमूल्यांकन की घोषणा के तीन माह पश्चात ही नष्ट किया जा सकेगा।

11.24 परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के वेबसाईट के अतिरिक्त कार्यालय के सूचना पटल पर विश्वविद्यायलयीन परीक्षा के संयुक्त परिणामों को प्रकाशित करेगा। परीक्षा परिणामों के प्रकाशित होते ही संबंधित संस्थानों को परिणाम सूचित कर दिये जायेंगे।

11.25 विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा प्रश्नपत्र रचयिताओं, उत्तर पुस्तिका मुल्यांकनकर्ताओ परीक्षकों, परीक्षा अधीक्षकों, सहायक परीक्षक अधीक्षकों, वीक्षकों, गणकों एवं कोलेटर्स के द्वारा परीक्षा कार्य में की गई त्रुटि के विरूद्ध उन्हें देय पारिश्रमिक में समय–समय पर निर्धारितदर पर कटौतियाँ कर सकती है।

11.26 पुर्नमूल्यांकन : जब छात्र द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका का पुर्नमूल्यांकन कराने हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित उत्तर पुस्तिका उस परीक्षक को छोड़कर जिसने प्रांरभ में मूल्यांकन किया है दो अन्य परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु भेजी जायेगी। छात्र को प्रदत्त अंकों में परिवर्तन उसी स्थिति में किया जायेगा यदि ऐसे पुर्नमूल्यांकन के पश्चात् पाया गया अंतर मूल रूप से दिये गये अंकों से 10 % से अधिक हो।

11.27 यह भी प्रावधानित है कि उक्त परीक्षक प्रबंध मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे।

11.28 कोई भी अभ्यर्थी स्नातकोत्तर उपाधि हेतु एक ही अकादमिक सत्र में एक से अधिक उपाधि परीक्षा अथवा एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि हेतु परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा।

11.29 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से निष्कासित अथवा अस्थायी रूप से निकाला गया हो अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से रोका गया हो उसे ऐसी अवधि जिसमें सजा प्रचलन में रहेगी के दौरान इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11.30 विश्वविद्यालय की परीक्षा में अभ्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित

अध्यादेशों में निहित किसी बात के होते हुये भी कुलपति विशेष प्रकरण में जिसमें वह संतुष्ट हो कि परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुआ विलंब अभ्यर्थी की जागरूकता में कमी या उपेक्षा के कारण से नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हो प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित विलंब शुल्क के साथ अनुज्ञात किया जायेगा। भले ही वह पन्द्रह दिनों की अवधि के अवसान के बाद ही क्यों न ही प्राप्त हुआ हो।

11.31 कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक उसे निर्गमित वैध प्रवेश पत्र वह प्रस्तुत न कर सके। परीक्षा नियंत्रक परीक्षार्थी के पक्ष में परीक्षा प्रवेश पत्र जारी करेगा यदि –

(1) आवेदक का आवेदन पत्र प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है।

(2) परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(3) उसकी उपस्थिति 75 % से अधिक है।

11.32 जहां प्रायोगिक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा से पूर्व सम्पन्न हो गई हो वहां परीक्षार्थी को सैद्धांतिक परीक्षा में प्रवेशित तब तक नहीं माना जायेगा जब तक उसे प्रवेश पत्र जारी न कर दिया गया हो।

11.33 किसी परीक्षार्थी के पक्ष में जारी किया गया प्रवेश पत्र निरस्त किया जा सकेगा यदि यह पाया जाता है कि–

(1) परीक्षार्थी को जारी किया गया प्रवेश पत्र त्रुटिपूर्वक जारी हुआ था अथवा वह परीक्षा में प्रविष्ट होने की अर्हता नहीं रखता है।

(2) परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए अभिलेख अथवा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी यथा नामांकन संस्था में प्रवेश आदि झूठी अथवा गलत है।

11.34 परीक्षक नियंत्रक यदि संतुष्ट हो कि परीक्षार्थी का परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है, नष्ट हो गया है तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय निर्धारित शुल्क पर उसे कार्ड की डुप्लीकेट प्रति जारी कर सकता है। ऐसे द्वितीय प्रवेश पत्र के उपर पृथक से डुप्लीकेट शब्द लिखा

जायेगा।

11.35 कोई भी परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में प्रविष्ट हुआ हो वह परीक्षा में प्राप्त अंकों का परीक्षण करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकता है। ऐसे परीक्षण हेतु आवेदन वह अपनी सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिकाओं जो कि किसी भी विषय की हो एवं अपने परीक्षा परिणाम की पुनः जांच के लिए कर सकता है। परीक्षार्थी का ऐसा आवेदन परीक्षा नियंत्रक को निर्धारित प्रारूप में परीक्षा परिणाम के प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के भीतर पहुंच जाना चाहिये।

11.36 परीक्षार्थी को उसके परीक्षा परिणाम के परीक्षण के परिणाम की जानकारी दे दी जायेगी।

11.37 प्रमाण पत्रों की डुप्लीकेट प्रति आवेदक को भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के अन्य अध्यादेश में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जायेगी।

11.38 यह भी प्रावधानित है कि किसी भी विद्यार्थी को माईग्रेशन प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा की डुप्लीकेट प्रति प्रदान नहीं की जायेगी परंतु अपवाद के तौर पर जहां कुलपति आवेदक द्वारा उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर जो उस समय कानून द्वारा प्रचलित व निर्धारित है में दिये गये शपथ पत्र से इस बात के प्रति संतुष्ट है कि आवेदक द्वारा मूल अभिलेख किसी अन्य परीक्षा में उपस्थित होने हेतु उपयोग में नहीं लाया गया और संबंधित अभिलेख गुम हो चुका है अथवा नष्ट हो गया है तथा आवेदक को वास्तव में ऐसे अभिलेख की डुप्लीकेट प्रति की आवश्यकता है। ऐसी डुप्लीकेट प्रति केवल एक बार ही जारी की जायेगी।

11.39 विश्वविद्यालय की मैरिट सूची में उपाधि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सफल हुये परीक्षार्थियों में से प्रथम दस परीक्षार्थियों के नाम (एटीकेटी परीक्षार्थियों को छोड़कर) जिन्होनें प्रथम श्रेणी में परीक्षा

उत्तीर्ण की प्रदर्शित किये जायेंगे।

11.40 संबंधित परीक्षा अध्यादेश में अंतरविष्ट किसी बात के होते हुये भी नियमित अभ्यर्थी के रूप में सेमेस्टरांत परीक्षा में समस्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, प्रायोगिक, मौखिकी, आंतरिक मूल्यांकन तथा क्षेत्र/ कार्य परियोजना में जो परीक्षार्थी उपस्थित हुये है एवं परीक्षा में तीन से कम विषयों में अधिकतम कुल पांच अंकों से अनुत्तीर्ण हुये हो ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुल पांच अंकों तक कृपांक दिया जा सकेगा। इन अंकों की गणना कुल प्राप्तांक में नहीं की जायेगी। कृपांक को अभ्यर्थी के अधिकार के मामले की तरह स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा यह कुलपति का विशेषाधिकार है। यह सुविधा उन अभ्यार्थियों को जो उस विशिष्ट सेमेस्टर (प्रथम प्रयास में सभी सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं सत्रीय कार्य में) में पांच कृपांक अंक प्राप्त करते उत्तीर्ण करता है के लिए उपलब्ध होगा। कोई भी कृपांक अंक सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के अलावा अन्य किसी भी प्रश्न पत्र पर एवं एटीकेटी/पूरक छात्रों को नहीं दिया जायेगा।

11.41 यदि कोई परीक्षार्थी एक अंक से प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने से वंचित रह जाता है तो उसे एक अंक का कृपांक दिया जाकर उसकी श्रेणी में सुधार कर दिया जायेगा।

11.42 प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षक मण्डल द्वारा सेमेस्टरांत में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी। मण्डल में एक या अधिक परीक्षक होंगे। जहां प्रायोगिक परीक्षायें विश्वविद्यालय के कई संस्थानों में एक साथ सम्पादित की जानी हो वहां एक से अधिक ऐसे परीक्षक मण्डल नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षकों में से किसी एक परीक्षक को मुख्य परीक्षक बनाया जायेगा जो समस्त परीक्षक मण्डलों के लिए परीक्षा संचालन की मार्गदर्शिका तैयार करेगा ताकि मूल्यांकन में समानता स्थापित हो सके।

11.43 किसी अन्य प्रकार की परीक्षा हेतु उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगा

ऐसी स्थिति में परीक्षा की पाठ्यचर्या परीक्षा योजना में विशेष रूप से उपबंधित अनुसार होगी जिसकी अनुपस्थिति में संबंधित अध्ययन मण्डल तथा समन्वय समिति की अनुशंसा पर तथा कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा उक्त हेतु प्रावधान निर्धारित किये जायेंगे।

11.44 सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम (सत्रांत परीक्षा एवं शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन दोनों को सम्मिलित करते हुये) परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किया जायेगा। यद्यपि विस्तृत परीक्षा परिणामों के परीक्षण के पश्चात यदि परीक्षा नियंत्रक यह समझते है कि समग्र परीक्षा के स्तर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है अथवा ऐसा परिवर्तन एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के संबंध में हुआ है तो ऐसी स्थिति में वे यह प्रकरण मॉडरेशन कमेटी जो कुलपति द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित हो को सौंप सकते है।

11.45 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंर्तविष्ट करते हुये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा अंकसूची जारी की जायेगी।

अध्याय–4

12 परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में मापदण्ड, अंक तथा श्रेणियां–

12.1 स्नातक उपाधि हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 40 % अंक जिसमें पृथक रूप से 40 % अंक सेमेस्टरांत परीक्षा में तथा शिक्षकों द्वारा छात्र के सतत् मूल्यांकन के 40 % परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा अभ्यर्थी जो किसी पाठ्यक्रम में उक्त में से किसी में भी 40 % से कम अंक अर्जित करता है उसे उस पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जावेगा।

12.2 किसी निर्धारित पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन हेतु विद्यार्थी परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से दो सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकेगा। पुर्नमूल्यांकन का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र के द्वारा दिए गए सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है। इस हेतु कंडिका 11.26 में दर्शित प्रकिया अपनाई जावेगी।

12.3 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सेमेस्टरांत परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45 % अंक तथा शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन में 45 % अंक पृथक – पृथक प्राप्त करना पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा न्यूनतम क्रेडिट्स अर्जित करने हेतु आवश्यक है। पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्नपत्रों में अधिकतम् अंकों का कुल 45 % अंक अर्जित करने में विफल विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण समझा जावेगा।

12.4 सफल विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में निम्न प्रकार रखा जावेगाः

द्वितीय श्रेणी– अभ्यर्थी जिनके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में न्यूनतम 45 % अंक एवं अधिक परंतु 60 % से कम अंक अर्जित किए गए है उन्हें द्वितीय श्रेणी में रखा जावेगा।

प्रथम श्रेणी– अभ्यर्थी जिनके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में 60 % अथवा अधिक अंक अर्जित है उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जावेगा।

<u>प्रावीण्यता के साथ सहित प्रथम श्रेणी</u>– अभ्यर्थी जिसके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में कुल अंकों का 75 % एवं अधिक अंक अर्जित हो "प्रावीण्यता सहित प्रथम श्रेणी" में रखा जावेगा।

13 परिणामों की घोषणा :–

13.1 परीक्षा परिणामों की घोषणा हेतु परीक्षा समिति उत्तरदायी होगी। इस संबंध में परीक्षा समिति के निम्न कर्तव्य होंगे:

विश्वविद्यालय द्वारा संपादित परीक्षाओं के परिणामों का परीक्षण कर उन्हें यह संतुष्ट होने के पश्चात् पारित करना कि विभिन्न विषयों के घोषित परीक्षा परिणाम कुल मिलाकर प्रचलित स्तर/मानदंड के अनुरूप है तथा किसी प्रकरण में जहां परिणाम संतुलित नहीं प्रतीत होते वहां कुलपति को की जाने वाली कार्यवाही की अनुशंसा करना।

प्रश्नपत्रों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करना।

ऐसे परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करना जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं परिवहन में खो गई है एवं प्रकरणों का उचित समाधान करना।

शैक्षणिक परिषद द्वारा समय–समय पर यथा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

13.2 वह अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो, अपनी किसी भी उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन अंकों की पुनः योग जांच हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर परीक्षा नियंत्रक को परिणामों की घोषणा से पन्द्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात 500/ रूपये के विलंब शुल्क के साथ अगले 30 दिवस तक ऐसा आवेदन किया जा सकता है।

यह भी प्रावधानित है कि पुर्नमूल्यांकन की दशा में कोई भी परीक्षार्थी कुल दो प्रश्नपत्रों का ही पुर्नमूल्यांकन करा सकता है।

यह भी प्रावधानित है कि प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं, फील्ड वर्क,

जांच परीक्षा, थीसिस एवं किसी परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र के स्थान पर प्रस्तुत परियोजना कार्य का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

टीपः किसी परीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही हेतु प्रकरण परीक्षा समिति की अनुशंसा सहित विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद में रखा जावेगा।

14 अनुचित साधन का प्रयोग एवं अवांछित व्यवहार :

14.1 कोई भी अभ्यर्थी, परीक्षा कक्ष में परीक्षा से संबंधित पुस्तक, प्रश्न–पत्र नोट्स, इलेक्ट्रानिक सामग्री या अन्य सामग्री नहीं लायेगा जिसका वह परीक्षा के संबंध में उपयोग कर सकते हो, न ही वह परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी को कोई जानकारी देगा और न ही प्राप्त करेगा।

14.2 कोई भी अभ्यर्थी उसे प्रदत्त उत्तर पुस्तिका को छोड़कर, स्याही सोख पत्र या प्रश्न–पत्र या किसी अन्य सामग्री पर कुछ भी टीप या लेख नहीं करेगा।

14.3 कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति को न तो सहयोग देगा और न ही सहयोग प्राप्त करेगा एवं परीक्षा से संबंधित गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग भी नहीं करेगा।

14.4 किसी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए या कोई गलत या अनुचित साधन का प्रयोग करते पाए जाने पर परीक्षा अधीक्षक या वीक्षक या विश्वविद्यालय कर्मचारी के माध्यम से जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जावेगा जो प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रख सकेगा। समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही है तथा अभ्यर्थी द्वारा पूर्व–सोच के साथ किया जाना प्रकट होता है तो वह ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने से अयोग्य कर किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से तीन वर्ष से अधिक अवधि हेतु वंचित कर दिया जावेगा।

14.5 किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में नकल करते हुए या कोई गलत या

अनुचित साधन का प्रयोग करते पाए जाने पर परीक्षक, अधीक्षक या वीक्षक या विश्वविद्यालय कर्मचारी के माध्यम से जैसा भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जावेगा जो प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही है परंतु अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सोच के साथ ऐसा नहीं किया गया है तो वह अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य घोषित करेगी तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा से परीक्षा में उपस्थित होने से दो वर्ष से अनाधिक अवधि हेतु वंचित घोषित करेगी।

14.6 परीक्षा अधीक्षक की राय में यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का दोषी है जो उपरोक्त वाक्य 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 से भिन्न है तो परीक्षा अधीक्षक ऐसे परीक्षार्थी को केवल उसी प्रश्न पत्र की परीक्षा से निष्कासित कर सकेगा। परीक्षा नियंत्रक इसकी सूचना परीक्षा समिति को देंगे। समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप संबंधी तथ्य सही हैं तो वह उस वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने से वंचित कर सकेगी।

14.7 कोई भी अभ्यर्थी उसे उचित रूप से प्राप्त हो सकने वाले अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से परीक्षक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है या ऐसे तरीके या साधनों का उपयोग करता है जिससे परीक्षक, परीक्षा नियंत्रक या उनके कार्यालय में कार्यरत अन्य किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करना सिद्ध होने पर ऐसे प्रयास को अनुचित साधन माना जावेगा। ऐसा प्रकरण परीक्षा समिति को संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से सूचित किया जावेगा। परीक्षा समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही है तो वह अभ्यर्थी को वह परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य घोषित कर विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में एक वर्ष की अवधि के लिए वंचित भी कर सकेगी।

14.8 यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अधीक्षक, वीक्षक या परीक्षा में संलग्न किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को परीक्षा संचालन कार्य में अपने कर्तव्य के निर्वाह में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रताड़ित करने धमकी देने या दबाव उत्पन्न करने का प्रयास करता हो तो उसके ऐसे प्रयास को अनुचित साधन एवं कठोर कदाचरण माना जावेगा। ऐसा प्रकरण की सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से परीक्षा समिति को सूचित किया जावेगा। समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही है तो वह अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने से वंचित/विश्वविद्यालय से निष्कासित तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी आगामी परीक्षा में प्रवेश हेतु अयोग्य व्यक्ति घोषित कर सकती है।

14.9 ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे उपरोक्त कंडिका 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत दंडित किया गया है विश्वविद्यालय के किसी भी नियमित पाठ्यक्रम हेतु प्रवेशित नहीं किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को उसके दंड की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूतपूर्व छात्र के रूप में अगली वार्षिक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

14.10 यदि कोई विद्यार्थी केन्द्र में अधीक्षक या किसी वीक्षक के समक्ष हिंसक तरीके से या बल प्रयोग अथवा बल प्रदर्शन करता है या उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट में डालता है या उक्त दोनों तरीकों का प्रयोग कर कर्तव्य निर्वहन में परीक्षा प्राधिकारियों के लिए बाधा उत्पन्न करता हो तो परीक्षा अधीक्षक ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से निष्कासित कर पुलिस से भी आवश्यक सहायता ले सकेगा।

14.11 यदि कोई अभ्यर्थी घातक हथियार परीक्षा केन्द्र सीमा के भीतर लाने का दोषी हो तो उसे परीक्षा अधीक्षक के द्वारा परीक्षा केन्द्र से निष्कासित अथवा पुलिस को सुपुर्द किया जा सकेगा।

14.12 ऐसा अभ्यर्थी जिसे उपरोक्त 14.10 तथा 14.12 के अंतर्गत परीक्षा से

निष्कासित किया गया हो उसे बाद के प्रश्न पत्रों की परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

14.13 प्रत्येक प्रकरण में जहां उपरोक्त 14.10, 14.12, 14.14 तक के अधीन परीक्षा अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई है उनके विवरण सहित प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजा जावेगा। ऐसे प्रकरणों में कार्य परिषद अपराध की गंभीरता अनुसार दंड दे सकेगी परंतु इसके पूर्व अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार कर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने तथाध्या एक या अधिक वर्ष हेतु विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित किया जा सकेगा।

14.14 कोई व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है यदि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया जाता है, के संबंध में माना जायेगा कि वह प्रतिरूपण घटना कारित किया है तथा वास्तविक अभ्यर्थी के साथ दुरभि संधि किया है तो ऐसे व्यक्ति तथा वास्तविक अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न कार्यवाही की जायेगीः

(1) वास्तविक अभ्यर्थी जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दिया है वह भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित रहेगा।

(2) व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है यदि विश्वविद्यालय का छात्र है तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा प्रतिरूप व्यक्ति बनने के इस प्रकरण को पुलिस को कार्यवाही हेतु सौंप दिया जावेगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप बना है विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है तो समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस को सौंप दिया जावेगा।

14.15 यदि कोई अभ्यर्थी जो श्रेणी/अंक प्रतिशत में सुधार हेतु विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित हो रहा है एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके उन सभी प्रश्न पत्रों के परीक्षा परिणाम भी निरस्त होंगे जिसमें वह पहले ही प्रविष्ट हो चुका है। इसके अतिरिक्त उसके विरूद्ध श्रेणी/प्रतिशत अंक में सुधार हेतु परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप उचित कार्यवाही भी की जावेगी।

14.16 दोषी छात्र के विरूद्ध दण्ड उसके द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत कथन पर पूर्ण विचारोपरांत ही आरोपित किया जावेगा।

14.17 परीक्षा अधीक्षक द्वारा ऐसे परीक्षार्थी के विरूद्ध जो परीक्षा भवन या परीक्षा केन्द्र की परिसीमा में परीक्षा अवधि के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए या ऐसा करने का प्रयास करते हुए पकड़ा जाता है निम्न रीति से कार्यवाही की जावेगीः

(1) परीक्षार्थी को उसके पास स्थित समस्त आपत्तिजनक सामग्री मूल उत्तरपुस्तिका सहित परीक्षा अधीक्षक के समक्ष समर्पित करने हेतु बुलाया जावेगा एवं प्राप्त सामग्री का उल्लेख करते हुए तारीख व समय दर्शाते हुए एक मेमोरेंडम तैयार किया जावेगा।

(2) परीक्षार्थी एवं वीक्षक के कथन को अभिलिखित किया जावेगा।

(3) तत्पश्चात परीक्षा के शेष समय में उत्तर लिखने हेतु एक नई उत्तर पुस्तिका जिसके मुख्य पृष्ठ पर 'Second Copy Using Unfair Means' अंकित होगा ऐसे परीक्षार्थी को जारी कर दी जावेगी।

(4) उक्त परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी की मूल उत्तर पुस्तिका द्वितीय उत्तर पुस्तिका उसके पास से जप्त अनुचित साधन सामग्री तथा वीक्षक एवं परीक्षार्थी के हस्ताक्षरित अभिलिखित कथन को एक पृथक सील बंद लिफाफे में परीक्षा अधीक्षक को टीप सहित कुलसचिव को अग्रेषित किया जावेगा।

(5) कुलसचिव, अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी की दोनों ही उत्तर पुस्तिकाएं अर्थात् मूल उत्तर पुस्तिका जिसे लिखते हुए उसे अनुचित साधान का प्रयोग करते पकड़ा गया तथा पकड़े जाने के बाद परीक्षार्थी को सौंपी गई द्वितीय उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकनर्ताओ को भेजेंगे जिसमें मूल्यांकन दोनों ही उत्तरपुस्तिकाओं का पृथक–पृथक मूल्यांकन कर निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन भी कुलसचिव को भेजेंगे जिसमें यह निष्कर्ष दिया जायेगा कि परीक्षार्थी ने उत्तर लेखन में अनुचित साधन का उपयोग किया है अथवा नहीं।

(6) केन्द्र अधीक्षक से परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी सूचित प्रकरणों के परीक्षण उपरांत, मुल्यांकनकर्ताओ से प्राप्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा।परीक्षा समिति ऐसे प्रकरणों के परीक्षण उपरांत की जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण कर सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से प्रबंध मण्डल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(7) कोई परीक्षार्थी यदि परीक्षा समय के मध्य अन्य परीक्षार्थियों से बातचीत करता पाया जाता है तो उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी जावेगी। वीक्षक की चेतावनी के पश्चात् भी परीक्षार्थी निरंतर ऐसा करते पाए जाने पर उसकी उत्तर पुस्तिका जप्त की जाकर द्वितीय उत्तर पुस्तिका दी जावेगी एवं प्रथम उत्तर पुस्तिका निरस्त कर परीक्षा नियंत्रक को सौंप दी जावेगी तथा केवल द्वितीय उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन हेतु भेजा जावेगा। परंतु परीक्षार्थी को पुनः चेतावनी देने की आवश्यकता पड़ने पर उसे कोई दूसरी उत्तर पुस्तिका नहीं दी जावेगी तथा उसे परीक्षा अधीक्षक द्वारा उस विशिष्ट प्रश्न पत्र की परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है।

14.18 यदि कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने या उपयोग करने के प्रयास का दोषी पाया जाता है जैसे

किसी पुस्तक या नोट्स से नकल, अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से नकल अन्य अभ्यर्थी को मदद करना या उससे सहायता प्राप्त करना या परीक्षा संबंधी सामग्री परीक्षा कक्ष में रखना या किसी अन्य प्रकार का कार्य चाहे जो भी हो करना, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा समिति या समिति द्वारा नियुक्त समिति संबंधित की ऐसी परीक्षा को रद्द कर सकेगी तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा से अपराध की प्रकृति के अनुसार एक या अधिक वर्षों हेतु प्रतिबंधित कर सकेगी।

14.19 परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा संबंधी तथ्यों की गलत प्रस्तुति अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों अथवा दस्तावेजों द्वारा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त किया जाना सिद्ध होने की दशा में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति, अभ्यर्थी की परीक्षा को निरस्त कर उसे आगामी एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होने से वर्जित कर सकती है।

14.20 परीक्षा समिति किसी ऐसे परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त कर सकती है अथवा उसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित कर सकेगी यदि बाद में यह पाया जाता है वह परीक्षा के संबंध में किसी रूप में कदाचरण का दोषी है तथा वह विश्वविद्यालय के परीक्षा अभिलेखों जिनमें उत्तर पुस्तिका अंकसूची, नियम सारिणी, डिप्लोमा आदि शामिल है में छेड़छाड़ करने में सहायक रहा या ऐसे कार्य को उसके द्वारा अनावश्यक प्रोत्साहन दिया गया।

14.21 परीक्षा के समस्त दस्तावेज और परिणाम लिखित उत्तर पुस्तिका को छोड़कर संबंधित परीक्षा परिणामों की घोषणा की तिथि से तीन वर्ष की अधिकतम् अवधि तक विश्वविद्यालय सुरक्षित रखेगा।

अध्याय–5

15 समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन विश्वविद्यालय भवन में होगा

15.1 विभिन्न अध्ययन मण्डलों की सहायता से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय प्रत्येक विषय हेतु मूल्यांकन कार्य की आव्रजन रखने वाले शिक्षकों की संस्थावार सूची तैयार करेगा। ऐसी सूची दो भागों में होगी। प्रथम भाग में विश्वविद्यालय के विभागों महाविद्यालयों तथा ऐसी संस्थाएं जिन्हें विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है में कार्यरत शिक्षकों के नाम दर्शित होंगे। द्वितीय भाग के विश्वविद्यालय शिक्षकों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अर्हता प्राप्त शिक्षकों के नाम होंगे जिन्हें मूल्यांकनर्ताओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

15.2 सूची में यथासंभव ऐसे व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए जो निम्न बिन्दुओं से संबंधित हो:

(1) अकादमिक अर्हता एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यायपन का अनुभव।

(2) विशेषज्ञता का क्षेत्र

(3) विश्वविद्यालय की उन परीक्षाओं के नाम वर्ष सहित जिनमें वे पूर्व में परीक्षक रहे ।

15.3 इस प्रकार से तैयार की गई सूची को प्रथम परिनियम की धारा 14 में दिये अनुसार गठित परीक्षा समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

15.4 परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा परीक्षा समिति को प्रत्येक परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तथा केन्द्रों की सूची दी जायेगी जिसमें प्रायोगिक तथा मौखिकी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमानित संख्या भी दी गई होगी।

15.5 परीक्षा समिति निम्न कंडिका में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपनी अनुशंसा देगी

(1) प्रत्येक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र रचियताओं का पैनल।

(2) जहां कहीं आवश्यक हो पैनल में तीन से अधिक के नाम भी विचार हेतु सम्मिलित किए जा सकते है।

15.6 कुलपति साधारणतः अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों में से प्रश्न पत्र रचयिता, सह–परीक्षक तथा प्रायोगिक/ मौखिकी के परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। कुलपति को ऐसे व्यक्ति को भी परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा जो परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित सूची में शामिल नहीं है, यदि वे इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा व्यक्ति वांछित न्यूनतम अकादमिक अर्हता एवं सात वर्ष के पूर्णकालिक अध्यायपन का अनुभव रखता है।

16. साधारणतः स्नातक स्तर की परीक्षाओं में 50 % प्रश्न पत्र रचियता विश्वविद्यालय के बाहर से होंगे।

17. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र रचियता एवं सहपरीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा जो वरिष्ठता एवं ऐसी नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य शर्तों को पूर्ण करते हो।

18. साधारणतः प्रत्येक विषय में दो प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त किये जायेंगे जो अनिवार्यतः अलग–अलग केन्द्रों से संबंधित होंगे।

19. साधारणतः किसी एक विश्वविद्यालय, विभाग अथवा संस्था अथवा केन्द्र से एक विषय में एक परीक्षा हेतु एक से अधिक प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

20. कोई भी परीक्षक जिसे किसी स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त किया गया है को उस परीक्षा में मौखिकी हेतु बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

21. किसी भी शिक्षक को साधारणतः प्रायोगिक परीक्षा हेतु दो से अधिक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा। परंतु यह भी प्रावधानित है कि ऐसे केन्द्र जहां प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की

स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 120 से कम है वहां केवल एक बाह्य परीक्षक तीनों वर्षों की परीक्षाओं के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

22. स्नातक स्तर की प्रायोगिक परीक्षा में एक बाह्य परीक्षक साधारणतः 120 अभ्यार्थियों से अधिक की परीक्षा नहीं ले सकेगा।

23. लिखित परीक्षा के संबंध में एक परीक्षक साधारणतः 250 उत्तर पुस्तिकाओं से अधिक का मूल्यांकन नहीं कर सकेगा। कुल परीक्षार्थियों की संख्या जहां 300 से अधिक होगी वहां मुख्य परीक्षक के साथ एक सह परीक्षक भी नियुक्त किया जायेगा।

24. परीक्षकों को साधारणतः एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा। यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुर्ननियुक्त किया जा सकेगा।

25. कोई व्यक्ति जिसने निरंतर तीन वर्ष के लिए परीक्षक (प्रश्न पत्र रचियता, सहपरीक्षक अथवा मौखिकी परीक्षक) के रूप में कार्य किया हो सामान्यतः पुर्ननियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की वह उस वर्ष जिसमें वह परीक्षक के रूप में अंतिम रूप से कार्य किया हो एवं वह वर्ष जिसमें वह पुर्ननियुक्त किया जा रहा हो के बीच एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई हो।

किसी भी परीक्षक को तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी वर्जित किया जा सकता है यदि परीक्षा समिति की राय में उसका कार्य संतोषजनक नहीं है।

26 एक परीक्षक का कार्य असंतोषजनक माना जायेगा यदिः

(1) ऐसी प्रकृति की त्रुटि जो जांच एवं छानबीन में उसके कार्य में पायी गई हो जिससे परीक्षा परिणाम प्रभावित होता हो, या

(2) वह परीक्षा समिति द्वारा बिना किसी कारण के कार्य में विलंब करने का दोषी पाया गया हो।

(3) मुख्य परीक्षक से उसके संबंध में विपरीत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो,

या .

(4) परीक्षा समिति की राय में उसकी प्रमाणिकता या संनिष्ठता के बारे में कोई युक्तियुक्त ऐसा संदेह हो कि वह परीक्षार्थियों या उसके संबंधियों के पहुंच में है तथा

(5) यदि उसके द्वारा रचित प्रश्नपत्र के विरूद्ध कोई कठोर प्रकृति की शिकायत हो यथा उक्त प्रश्न पत्र निर्धारित मानक से बहुत अधिक या बहुत निम्न स्तर का है या निर्धारित पाठ्यक्रम या शाखा के बाहर का प्रश्न संबंधित प्रश्न पत्र में शामिल है या परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किसी शर्त के बाहर से प्रश्न उक्त प्रश्न पत्र में सम्मिलित है।

27. प्रश्न पत्र रचियता सभी सह परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिये एक निर्देशिका ज्ञापन तैयार करेगा ताकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित मानक के अनुरूप हो सके।

28. यदि किसी कारण से परीक्षक प्रश्न पत्र रचना करने के पश्चात मुख्य परीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करने या उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में असमर्थ है तो वह प्रश्न पत्र सेट करने हेतु निर्धारित पारिश्रमिक की राशि की केवल आधी राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा और शेष राशि ऐसे परीक्षक को भुगतान योग्य होगी जो तत्पश्चात् मुख्य परीक्षक के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

परंतु यदि प्रश्न पत्र रचियता की मृत्यु उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रारंभ करने या मूल्यांकन पूर्ण करने से पूर्व हो जाती है तो प्रश्न पत्र सेट करने के लिये निर्धारित सम्पूर्ण मानदेय की राशि उसके उत्तराधिकारियों को दे दी जायेगी।

29. यदि किसी विषय में मौखिकी परीक्षा का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में दो परीक्षकों का एक मण्डल बनाया जायेगा जिनमें एक परीक्षक बाह्य परीक्षक होगा तथा दूसरा आंतरिक परीक्षक होगा। दोनों परीक्षक मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करेंगे।

30. परीक्षायें यथा एम.बी.ए., एम.कॉम, एम.फिल, एम.ए. इत्यादि की दशा में जहां थीसिस कार्य प्रश्न पत्र या परियोजना कार्य के बदले में अनुज्ञेय है वहां थीसिस के मूल्यांकन के लिये दो परीक्षकों की समिति होगी। थीसिस के लिये अंकों की अधिकतम संख्या दो परीक्षकों के बीच बराबर विभाजित कर दी जायेगी जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से थीसिस पर अंक देंगे। यदि इन दो परीक्षकों द्वारा किये गये मूल्यांकन में 20 % से अधिक का अंतर है तो थीसिस का तीसरे परीक्षक (विश्वविद्यालय शिक्षक से भिन्न) से मूल्यांकन कराया जायेगा जो थीसिस हेतु निर्धारित अधिकतम अंकों के आधे अंक में से अंक देगें। किये गये तीन मूल्यांकनों में से दो का कुल योग जो एक दूसरे के निकटस्थ हो उसे अभ्यर्थी के सर्वोत्तम लाभ में माना जाकर सही मूल्यांकन के रूप में लिया जायेगा।

31. किसी शोध उपाधि की परीक्षा हेतु परीक्षा समिति प्रत्येक ऐसी थीसिस हेतु न्यूनतम छः परीक्षकों के पैनल की अनुशंसा करेगी जिनमें से कम से कम दो परीक्षक किसी बाहरी विश्वविद्यालय जो भारत या भारत के बाहर के हो सकते है सम्मिलित होंगे।

32. पैनल में सम्मिलित परीक्षक :

ऐसे परीक्षकों के पास संबंधित विषय में पी.एच.डी. उपाधि तथा न्यूनतम दस वर्ष का स्नातकोत्तर स्तरीय अध्यायपन अथवा शोध अनुभव होना चाहिये।

वें अपने विषय में ख्याति प्राप्त हो।

33. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र रचयिता अथवा सैद्धांतिक, प्रायोगिक या मौखिकी परीक्षा में परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं होगा यदि उसका कोई भी निकट संबंधी उसी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो या उपस्थित हुआ हो परंतु यह प्रावधान किसी परीक्षक को उस स्थिति में किसी केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा के रूप में कार्य करने से वर्जित नहीं करेगा यदि उसके संबंधी

किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलत हो रहे हो।

34. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में मॉडरेटर या टेबूलेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा यदि उसका कोई भी संबंधी उस परीक्षा में प्रविष्ट हो रहा हो अथवा हुआ हो।

35. इस अध्यादेश में शामिल प्रावधानों के होते हुये भी विश्वविद्यालय के कुलपति परीक्षा समिति से सलाह कर जहां तक संभव हो विशिष्ट परीक्षा की कमियों को पूरा करने के लिये सभी या कुछ नियमों में उपांतरण कर सकेंगे।

अध्यादेश–3

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रभारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क

धारा 28 (1) (च)

1 विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक /कुलसचिव, कुलपति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थियों द्वारा देय परीक्षा शुल्क अधिसूचित करेगा। विद्यार्थी जिसने परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया है परीक्षा में उपस्थित होने के लिये सामान्य तौर पर पात्र नहीं होगा। कुलपति अपने विवेकानुसार कतिपय वास्तविक कठिनाईयों के प्रकरणों हेतु शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि में वृद्धि कर सकेगा तथापि ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनके विरूद्ध देय समस्त राशियों के भुगतान होने तक रोके जा सकेंगे।

(1) विश्वविद्यालय की परीक्षा का शुल्क प्रबंध मण्डल के अनुमोदन से समय–समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(2) ऐसा परीक्षार्थी जो परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, उसके द्वारा चुकाये गये शुल्क की वापसी का पात्र नहीं होगा और न ही चुकायी गई ऐसी राशि को आगामी परीक्षा के लिये जमा के रूप में माना जायेगा। तथापि महिला परीक्षार्थी के संबंध में प्रसूति संबंधी कारण वश उपस्थित होने में असमर्थता के प्रकरण में उसके द्वारा जमा किया गया शुल्क आगामी परीक्षा के लिये रखा जा सकेगा बशर्ते की चुकाया गया शुल्क आगामी परीक्षा हेतु सुरक्षित रखने विषयक आवेदन पत्र परीक्षा नियंत्रक/ कुलसचिव के पास संबंधित परीक्षा की समाप्ति से तीन माह की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत हो जाना चाहिये

तथा ऐसा आवेदन पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिये।

(3) परंतु ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा फीस के आगामी परीक्षा में समायोजन हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा में अपना संकाय या विषय परिवर्तित करता है।

(4) ऐसा नियमित परीक्षार्थी जिसे व्याख्यानों/ प्रायोगिक में कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित रखा गया हो उसके द्वारा जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

(5) पुर्नमूल्यांकन आवेदन शुल्क की राशि पुर्नमूल्यांकन पश्चात आवेदक के संबंधित विषयों में अंकों में परिवर्तन पाये जाने पर भी वापस नहीं की जायेगी।

(6) ऐसा परीक्षार्थी जो अस्वस्थता या अन्य कारण से परीक्षा में उपस्थित न हो सका हो तो उसके द्वारा चुकाया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परंतु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव की अनुशंसा पर, कुलपति तथ्यों पर विचार कर तथा दस्तावेजों से अपेक्षित जांच करने के पश्चात, यदि संतुष्ट हो तो वे संबंधित परीक्षा के ठीक पश्चात होने वाली परीक्षा में शुल्क के उस भाग के समायोजन के लिये आदेश दे सकेंगे।

(7) ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा शुल्क उनके अभिभावकों को वापस कर दिया जायेगा जिसकी मृत्यु परीक्षा में प्रविष्ट होने से ठीक पूर्व हो गई हो।

(8) किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में मिथ्यापूर्ण जानकारी देने एवं झूठें दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण यदि उसकी परीक्षा में प्रवेश पात्रता निरस्त कर दी गई हो तो ऐसे परीक्षार्थी द्वारा जमा किया गया सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

अध्यादेश–4

बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए./बी.ए. ऑनर्स)

4.1	शीर्षक	:	बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए./बी.ए. ऑनर्स)
4.2	संकाय	:	कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान संकाय
4.3	अवधि	:	तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
4.4	पात्रता	:	किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण।
4.5	सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
4.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
4.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
4.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर

सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

4.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

4.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

4.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

4.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 % अंक विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में

अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

4.13 परीक्षा एव मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

4.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

4.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–5

मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)

5.1	शीर्षक	:	मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)
5.2	संकाय	:	कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय
5.3	अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
5.4	पात्रता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण
5.5	सीट	:	आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयॉ स्थापित कर सकता है।
5.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
5.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
5.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की ज़ावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

5.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

5.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

5.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

5.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त

करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

5.13	परीक्षा एवं मूल्याकन	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
5.14	एटीकेटी हेतु पात्रता	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
5.15	सामान्य	:	पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–6

मास्टर ऑफ़ सोशल वर्क (एम.एस.डब्ल्यू.)

6.1	शीर्षक	:	मास्टर ऑफ़ सोशल वर्क (एम.एस.डब्ल्यू.)
6.2	संकाय	:	कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय
6.3	अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
6.4	पात्रता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण
6.5	सीट	:	आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
6.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
6.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
6.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

6.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

6.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

6.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

6.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

6.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

6.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

6.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–7

बैचलर ऑफ़ रूरल स्टडीज (बी.आर.एस.)

7.1	शीर्षक	:	बैचलर ऑफ़ रूरल स्टडीज (बी.आर.एस.)
7.2	संकाय	:	कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय
7.3	अवधि	:	तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
7.4	पात्रता	:	किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
7.5	सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
7.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
7.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
7.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

7.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

7.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

7.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

7.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

7.13	परीक्षा एवं मूल्याकन	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
7.14	एटीकेटी हेतु पात्रता	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
7.15	सामान्य	:	पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–8

मास्टर ऑफ़ रूरल स्टडीज (एम.आर.एस.)

8.1	शीर्षक	:	मास्टर ऑफ़ रूरल स्टडीज (एम.आर.एस.)
8.2	संकाय	:	कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय
8.3	अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
8.4	पात्रता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण
8.5	सीट	:	आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
8.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
8.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
8.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

8.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

8.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

8.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

8.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

8.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

8.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

8.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–9

भाषाओ / विदेशी भाषाओ में डिप्लोमा

9.1	शीर्षक	:	भाषाओ / विदेशी भाषाओ में डिप्लोमा
9.2	संकाय	:	कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय
9.3	अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
9.4	पात्रता	:	किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
9.5	सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
9.6	प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
9.7	अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
9.8	चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

9.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पंत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

9.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

9.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

9.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने

होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

9.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

9.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

9.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–10

डिप्लोमा इन सोशल वर्क

10.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन सोशल वर्क
10.2 संकाय	:	कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान संकाय
10.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
10.4 पात्रता	:	किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
10.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
10.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
10.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
10.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

10.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

10.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

10.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

10.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

10.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

10.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

10.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–11

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वुमन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट

11.1 शीर्षक	:	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वुमन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट
11.2 संकाय	:	कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय
11.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
11.4 पात्रता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण
11.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
11.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
11.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
11.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी

परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

11.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

11.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

11.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

11.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को

द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

11.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

11.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

11.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–12

डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन

12.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन
12.2 संकाय	:	व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय
12.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
12.4 पात्रता	:	किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
12.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
12.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
12.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
12.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के

अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

12.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

12.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

12.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

12.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय

श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

12:13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

12.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

12.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–13

बैचलर ऑफ़ साइंस (ऑनर्स) (बी.एससी ऑनर्स)

13.1 शीर्षक	:	बैचलर ऑफ़ साइंस (ऑनर्स) (बी.एससी ऑनर्स)
13.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
13.3 अवधि	:	तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
13.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
13.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
13.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
13.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
13.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है. वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण,

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

13.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

13.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

13.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

13.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक

प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

13.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

13.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

13.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–14

मास्टर ऑफ़ साइंस (एम.एससी.)

14.1 शीर्षक	:	मास्टर ऑफ़ साइंस (एम.एससी.)
14.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
14.3 अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
14.4 पात्रता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में स्नातक उत्तीर्ण
14.5 सीट	:	आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
14.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
14.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
14.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने

संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

14.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

14.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

14.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

14.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक

तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

14.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

14.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

14.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–15

बैचलर ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स (बी.स्टेट)

15.1 शीर्षक	:	बैचलर ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स (बी.स्टेट)
15.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
15.3 अवधि	:	तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
15.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
15.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
15.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
15.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
15.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने

संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

15.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

15.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

15.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

15.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा

अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

15.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

15.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

15.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–16

मास्टर ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स (एम.स्टेट)

16.1 शीर्षक	:	मास्टर ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स (एम.स्टेट)
16.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
16.3 अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
16.4 पात्रता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण
16.5 सीट	:	आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
16.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
16.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
16.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

16.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

16.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

16.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

16.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

16.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

16.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

16.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–17

डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)

17.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)
17.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
17.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
17.4 पात्रता	:	किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
17.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
17.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
17.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
17.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु

अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

17.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

17.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

17.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

17.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक

प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

17.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

17.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

17.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–18

बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बी.सी.ए.)

18.1 शीर्षक	:	बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बी.सी.ए.)
18.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
18.3 अवधि	:	तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
18.4 पात्रता	:	किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण
18.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
18.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
18.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
18.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

18.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

18.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

18.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

18.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

18.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

18.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

18.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–19

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)

19.1 शीर्षक	:	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)
19.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
19.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
19.4 पात्रता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक
19.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
19.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
19.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
19.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित

है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

19.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

19.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

19.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

19.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

19.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

19.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

19.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–20

डिप्लोमा इन योगा साइंस

20.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन योगा साइंस
20.2 संकाय	:	स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय
20.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
20.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
20.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
20.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
20.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
20.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

20.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

20.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

20.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

20.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

20.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

20.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

20.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–21

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस

21.1 शीर्षक	:	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस
21.2 संकाय	:	स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय
21.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
21.4 पात्रता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक
21.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
21.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
21.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
21.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

21.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

21.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

21.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

21.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

21.13 परीक्षा एवं : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

मूल्यांकन

21.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

21.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–22

डिप्लोमा इन डिजीटल मार्केटिंग

22.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन डिजीटल मार्केटिंग
22.2 संकाय	:	व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय
22.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
22.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
22.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
22.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
22.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
22.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

22.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

22.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

22.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

22.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

22.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

22.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

22.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–23

डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंटल साइंस

23.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंटल साइंस
23.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
23.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
23.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
23.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
23.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
23.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
23.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

23.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

23.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

23.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

23.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

23.13 परीक्षा एवं मूल्याकन	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
23.14 एटीकेटी हेतु पात्रता	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
23.15 सामान्य	:	पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–24

डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स

24.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स
24.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
24.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
24.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
24.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
24.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
24.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
24.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

24.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

24.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

24.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

24.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

24.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

24.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

24.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–25

डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंटल पॉल्युशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी

25.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंटल पॉल्युशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी

25.2 संकाय : विज्ञान संकाय

25.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

25.4 पात्रता : 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण

25.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

25.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

25.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

25.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

25.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

25.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

25.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

25.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

25.13 परीक्षा एवं मूल्याकन	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
25.14 एटीकेटी हेतु पात्रता	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
25.15 सामान्य	:	पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–26

डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाईन

26.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाईन
26.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
26.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
26.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
26.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
26.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
26.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
26.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

26.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

26.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

26.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

26.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

26.13 परीक्षा एवं मूल्याकन	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
26.14 एटीकेटी हेतु पात्रता	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
26.15 सामान्य	:	पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–27

डिप्लोमा इन फैशन डिजाईन

27.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन फैशन डिजाईन

27.2 संकाय : विज्ञान संकाय

27.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

27.4 पात्रता : 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण

27.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

27.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

27.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

27.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

27.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

27.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

27.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

27.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

27.13 परीक्षा एवं मूल्याकन	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
27.14 एटीकेटी हेतु पात्रता	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
27.15 सामान्य	:	पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–28

डिप्लोमा इन ई–कॉमर्स

28.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन ई–कॉमर्स
28.2 संकाय	:	व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय
28.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
28.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
28.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
28.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
28.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
28.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

28.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

28.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

28.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

28.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

28.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

28.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

28.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

अध्यादेश–29

डिप्लोमा इन फोटोग्राफी

29.1 शीर्षक	:	डिप्लोमा इन फोटोग्राफी
29.2 संकाय	:	विज्ञान संकाय
29.3 अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
29.4 पात्रता	:	10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण
29.5 सीट	:	आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।
29.6 प्रवेश प्रक्रिया	:	अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।
29.7 अकादमिक वर्ष	:	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
29.8 चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

29.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

29.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

29.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

29.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

29.13 परीक्षा एवं मूल्याकन	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
29.14 एटीकेटी हेतु पात्रता	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
29.15 सामान्य	:	पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।